किरोड़ी मल कॉलेज

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

विवरणिका

2019-20

हमारे बारे में...

किरोड़ीमल महाविद्यालय में आपका स्वागत है। इस उत्कृष्ट अकादमिक संस्था की स्थापना 1954 में हुई। **इसने** दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्था के रूप में **अथक प्रयासों द्वारा** सफलतापूर्वक अपना स्थान कायम रखा है **और इस ओर निरंतर कार्यरत भी है** । किरोड़ीमल कॉलेज में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थियों को ऐसा परिवेश उपलब्ध करवाया जाए जो उनके शैक्षणिक विकास के साथ सह-शैक्षणिक रुचियों का परिष्कार करे। महाविद्यालय ऐसे ज्ञानार्जन को बढ़ावा देता है जो हमारे आस-पास की दुनिया की नैतिक समझ के साथ-साथ सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने की आकांक्षा को पूरा कर सके। अकादमिक वातावरण के साथ ही सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी हमारे इस उद्देश्य की झलकियाँ प्राप्त होती है। थिएटर, कला एवं संगीत की हमारी उत्कृष्ट परंपरा हमारी शैक्षणिक उपलब्धियों को संवर्धित करती है। आप इस महाविद्यालय के प्रत्येक अनुशासन एवं प्रत्येक कोने में सामाजिक सक्रियतावाद, रचनात्मकता तथा अधिगम के नायाब संयोजन से रूबरू होंगे। पिछले वर्षों में महाविद्यालय ने प्रभावशाली अकादमिक सुविधाओं का विकास किया है, जैसे- पूर्ण कम्प्युटरीकृत पुस्तकालय, उच्च स्तरीय कम्प्युटर सेंटर और एक सक्रिय प्लेसमेंट सेल। हमारा प्रयत्न रहता है कि व्यक्ति को अधिक परिपक्व, जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से जागरुक बनाया जाए।

प्राचार्या का संदेश

किरोड़ीमल महाविद्यालय में हम विद्यार्थियों एवं उनके परिवारजनों की आकांक्षाओं को भली-भांति समझते हैं, क्योंकि वे विद्यालय के अतिनियंत्रित परिवेश और पाठ्यक्रम से उच्चशिक्षा के विस्तृत मुक्त संसार में प्रवेश करते हैं। किरोड़ीमल महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का ही एक संबद्ध महाविद्यालय है और दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास, विकास और शिक्षा के द्वारा समाज को बदलने के उद्देश्य का सहभागी है। करोड़ीमल महाविद्यालय की शुरुआत 60 वर्ष पहले 1951 में पुरानी दिल्ली में क़ुतुब रोड पर निर्मला कॉलेज के रूप में युवाओं के साथ-साथ विभाजन का दंश झेले लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से हुई। आज भी महाविद्यालय इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षा के द्वारा युवाओं की ऊर्जा एवं प्रतिभा को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे न केवल उनका पूर्ण विकास हो बल्कि वे न्याय, स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना से ओत-प्रोत हों।

किरोड़ी मल महाविद्यालय अपने नए प्रवेशकर्ताओं का तहे-दिल से स्वागत करता है और उन्हें क्रमिक रूप से विचारों की स्वतन्त्रता, जानने की उत्कंठा एवं प्रज्ञा की खोज के लिए प्रोत्साहित करता है। हम ऐसा मानते हैं कि जब हमारे विद्यार्थी यहाँ से बाहर जाएँ तो वे ना केवल सूचनात्मक **और सैद्धांतिक** ज्ञान से परिपूर्ण हों बल्कि सत्य के पथ पर निडर होकर चलने के आत्मविश्वास से भरे हों। महाविद्यालय एवं इसके शिक्षक विद्यार्थियों से सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रत्येक सत्र के विद्यार्थियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हम लगातार अकादमिक, सह-शैक्षणिक, खेल, **NCC, NSS** से जुड़े कार्यक्रमों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।

समस्त महाविद्यालय की तरफ से मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह वर्ष भी अर्थपूर्ण गतिविधियों और नए अनुभवों से भरा होगा, जिससे आपमें नई ऊर्जा, प्रतिभा एवं क्षमता का विस्तार होगा |

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Hirori Mal College
North Campus, University of Delhi, a Constituent College of University of Delhi, Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.54 on seven point scale
at A+ grade
valid up to November 04, 2021

Date : November 05, 2016

Director

EC(SC)/18/A&A/144.1

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)

किरोड़ीमल महाविद्यालय (ग्रेड A+) 3.54 CGPA

समस्त महाविद्यालय परिवार के लिए यह गर्व का विषय है की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने हमारे महाविद्यालय को 3.54 **CGPA** के साथ **A+** ग्रेड प्रदान किया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्चतम अंकों में से एक है। अकादमिक उत्कृष्टता एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की स्वीकृति के लिए महाविद्यालय अपना आभार व्यक्त करता है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अथक परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने महाविद्यालय के सर्वोत्तम को दिखाने एवं असंभव को प्राप्त करने के लिए बिना थके काम किया है|

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्त संस्था **NAAC** के तीन सदस्यों ने 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2016 तक महाविद्यालय का दौरा किया। **NAAC** के दल में अध्यक्ष टी. तिरुपति राव (उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति) और अन्य के रूप में ए.एम. शाह (कश्मीर विश्वविद्यालय के व्यापार विद्यालय के पूर्व निदेशक) एवं डॉ. कविता रेगे (प्राचार्य, साठये महाविद्यालय, मुंबई) शामिल थीं । दल ने शासी निकाय के सदस्यों तथा प्राचार्या से संवाद किया तथा महाविद्यालय के सभी विभागों का दौरा किया।

दल के सदस्य महाविद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से संतुष्ट दिखे। समालोचनात्मक विचार एवं रचनात्मकता पर आधारित शिक्षण-अधिगम की यह प्रक्रिया विभिन्न विभागों तथा समितियों के स्टालों पर तथा पावर पाइंट प्रस्तुति में दिखी। उन्होने छात्रों, शिक्षकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, अभिभावकों तथा भूतपूर्व छात्रों से भी संवाद स्थापित किया। दल ने महाविद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा, अधिगम के अंतर-अनुशासनिक प्रविधि, महाविद्यालय के विभिन्न एजेसियों द्वारा वित्तपोषित शोध-परियोजनाओं तथा छात्र आधारित सेवाओं जैसे- प्रयास, परिवर्तन, **NSS** और **NCC** आदि के क्षेत्र में किए गए प्रयास की भी प्रशंसा की।

देश भर के अकादमिक विद्वानों ने महाविद्यालय की सराहना की है। स्वाभाविक रूप से इससे महाविद्यालय परिवार उत्साहित है और अपनी ज़िम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नित नए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

प्रस्थान के समय सम्मानित दल के अध्यक्ष प्रो. टी. तिरुपति राव ने संकाय सदस्यों की सराहना की। एक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक प्रणाली को विकसित करने तथा सभी को वृहत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्होने सभी संकाय सदस्यों का धन्यवाद दिया। हम सभी सम्मानित दल के आगमन और उनकी सराहना की लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं साथ ही महाविद्यालय की बेहतरी के लिए उनके मूल्यवान सुझावों का भी आदर करते हैं।

NAAC द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन सह प्रत्यायन प्रमाणपत्र महाविद्यालय के शिक्षण-अधिगम-मूल्यांकन प्रक्रिया, शोध-गतिविधि, छात्र-सहयोग, नवोन्मेष आदि के बारे में स्वीकृति प्रदान करता है। एक संस्था की सीमाओं के भीतर रहकर काम करते हुए उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए सम्मानित दल के सदस्यों ने महाविद्यालय की सराहना की। अंततः महाविद्यालय को आशा के अनुरूप स्वीकृति भी प्राप्त हुई।

पाठ्यक्रम

परा-स्नातक

महाविद्यालय परा-स्नातक के लिए अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और क्रियात्मक शोध, भौतिकी, रसायनविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, संस्कृत और उर्दू का अवसर देता है।

स्नातक स्तर पाठ्यक्रम

बी.ए. प्रोग्राम

बी.ए. प्रोग्राम बांग्ला भाषा के साथ

बी.कॉम.

बी.कॉम. (प्रतिष्ठा)

बी.ए. (प्रतिष्ठा) अर्थशास्त्र

बी.ए. (प्रतिष्ठा) अंग्रेजी

बी.ए. (प्रतिष्ठा) भूगोल

बी.ए. (प्रतिष्ठा) हिंदी

बी.ए. (प्रतिष्ठा) इतिहास

बी.ए. (प्रतिष्ठा) राजनीतिक विज्ञान

बी.ए. (प्रतिष्ठा) संस्कृत

बी.ए. (प्रतिष्ठा) उर्दू

बी.एससी. शारीरिक विज्ञान

बी.एससी. शारीरिक विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान के साथ

बी.एससी. लाइफ साइंस

बी.एससी. एप्लाड शारीरिक विज्ञान (रसायनशास्त्र)

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) वनस्पति विज्ञान

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) रसायन विज्ञान

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) भौतिकी

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) गणित

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) सांख्यिकी

बी.एससी. (प्रतिष्ठा) जंतु विज्ञान

पाठ्यक्रम और प्रवेश क्षमता

किरोड़ी मल कॉलेज, प्रवेश क्षमता **2019-20**							
पाठ्यक्रम और प्रवेश क्षमता							
कार्यक्रम	कक्षा	कुल सीट	सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति **15%**	अनुसूचित जनजाति **7.5%**	अन्य पिछड़ा वर्ग **27%**	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग **10%**
बी.कॉम. **(प्रतिष्ठा)**	**1**	**93**	**43**	**14**	**7**	**25**	**4**
बी. कॉम.	**1**	**93**	**43**	**14**	**7**	**25**	**4**
अर्थशास्त्र	**1**	**69**	**31**	**10**	**6**	**19**	**3**
अंग्रेजी	**1**	**47**	**22**	**7**	**3**	**13**	**2**
भूगोल	**1**	**47**	**22**	**7**	**3**	**13**	**2**
हिंदी	**1**	**47**	**22**	**7**	**3**	**13**	**2**
इतिहास	**1**	**47**	**22**	**7**	**3**	**13**	**2**
राजनीतिक विज्ञान	**1**	**57**	**26**	**9**	**4**	**15**	**3**
संस्कृत	**1**	**20**	**9**	**3**	**1**	**6**	**1**
उर्दू	**1**	**20**	**9**	**3**	**1**	**6**	**1**
एप्लाड शारीरिक विज्ञान **(रसायनशास्त्र)**	**1**	**35**	**16**	**6**	**2**	**9**	**2**
शारीरिक विज्ञान **(कंप्यूटर के साथ)**	**1**	**35**	**16**	**6**	**2**	**9**	**2**
शारीरिक विज्ञान	**1**	**127**	**58**	**19**	**10**	**34**	**6**
लाइफ साइंस	**1**	**38**	**17**	**6**	**3**	**10**	**2**
वनस्पति विज्ञान	**1**	**43**	**19**	**7**	**3**	**12**	**2**
रसायनशास्त्र	**1**	**127**	**58**	**19**	**10**	**34**	**6**
गणित	**1**	**73**	**33**	**11**	**6**	**20**	**3**
भौतिकी	**1**	**127**	**58**	**19**	**10**	**34**	**6**
सांख्यिकी	**1**	**43**	**19**	**7**	**3**	**12**	**2**
जंतु विज्ञान	**1**	**43**	**19**	**7**	**3**	**12**	**2**
कुल		**1231**	**562**	**188**	**90**	**334**	**57**

किरोड़ी मल कॉलेज **2019-20**							
प्रवेश क्षमता: बी. ए. प्रोग्राम में विषयवार क्षमता							
संयोजन (युग्म)	वर्ग	कुल सीट	सामान्य	अ.ज.	अ. जजा.	अपिव	आर्थिक रूप से पिछड़े
राजनीतिक विज्ञान और इतिहास	**1**	**15**	**7**	**2**	**1**	**4**	**1**
अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान	**1**	**14**	**6**	**2**	**1**	**4**	**1**
राजनीतिक विज्ञान और दर्शन	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
इतिहास और अर्थशास्त्र	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
दर्शन और इतिहास	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
अर्थशास्त्र और दर्शन	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
बांग्ला अनुशासन और राजनीतिक विज्ञान	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
बांग्ला अनुशासन और इतिहास	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
अंग्रेजी अनुशासन और राजनीतिक विज्ञान	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
हिंदी अनुशासन और राजनीतिक विज्ञान	**1**	**8**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**
कुल		**93**	**37**	**12**	**10**	**24**	**10**

	DETAILS OF FEE AND OTHER CHARGES FOR 2019-20								
				General	Foreign	SC/ST	Staff	PWD	OBC
1	B.A. Programme I			12345	19245	12160	2155	125	12345
2	B.Com. Programme I			12345	19245	12160	2155	125	12345
3	B.A. Hons Economics I			12345	19245	12160	2155	125	12345
4	B.A. Hons English I			12345	19245	12160	2155	125	12345
5	B.A. Hons Hindi I			12245	19145	12060	2055	125	12245
6	B.A. Hons History I			12245	19145	12060	2055	125	12245
7	B.A. Hons Pol. Science I			12245	19145	12060	2055	125	12245
8	B.A. Hons Sanskrit I			12245	19145	12060	2055	125	12245
9	B.A. Hons Urdu I			12345	19245	12160	2155	125	12345
10	B.A. Hons Geography I			13945	20845	13760	2655	125	13945
11	B.Com. Hons I			13745	20645	13560	2455	125	13745
12	B.Sc. Prog. Physical Sc. I			14595	21495	14410	3255	125	14595
13	B.Sc. Prog. Life Sc. I			14795	21695	14610	3455	125	14795
14	B.Sc. Prog. Anal. Chem. I			14695	21595	14510	3355	125	14695
15	B.Sc. Prog. Comp. Sc. I			14595	21495	14410	3255	125	14595
16	B.SC. Hons Botany I			14895	21795	14710	3555	125	14895
17	B.SC. Hons Chemistry I			14695	21595	14510	3355	125	14695
18	B.SC. Hons Mathematics I			13695	20595	13510	2355	125	13695
19	B.SC. Hons Physics I			14295	21195	14110	2955	125	14295
20	B.SC. Hons Statistics I			14195	21095	14010	2855	125	14195
21	B.SC. Hons Zoology I			14895	21795	14710	3555	125	14895

छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार

1. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र, जिन छात्रों ने अपनी अंतिम सार्वजनिक परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे महाविद्यालय के द्वारा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं।

क्रम	वर्ष	पुरस्कार	छात्रों की संख्या
1.	2018-19	एन. एस. प्रधान पुरस्कार	5
2.		डॉ. एन. सुब्रह्मण्यम पुरस्कार	2
3.		एन. एस. खरे पुरस्कार	1
4.		डॉ. वाई. एन. भट्ट पुरस्कार	1
5.		जय देव पुरस्कार	1
6.		गंगा शरण पुरस्कार	1
7.		सुल्तान चंद मेमोरियल पुरस्कार	1
8.		सुल्तान चंद द्रोपदी देवी मेमोरियल पुरस्कार	1
9.		श्री ओम प्रकाश मेमोरियल पुरस्कार	3
10.	2018-19	श्री बी.वी. सरकार पुरस्कार	3
11.		बी.डी. सिंगले	3
12.		रसायन विज्ञान में डॉ. वी.पी. मेमोरियल छात्रवृति	3
13.		गणित में डॉ. वी. पी. शर्मा मेमोरियल छात्रवृति	3

वित्तीय सहायता

1. योग्य विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है| इस संदर्भ में विधिवत आवेदन कॉलेज कार्यालय के समक्ष तय तिथि से पहले पहुँच जाने चाहिए| अधिसूचित दिनांक तक प्राप्त आवेदनों पर ही वित्तीय सहायता के अनुदान के संदर्भ में विचार किया जाएगा|

2. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत रियायती शुल्क के अलावा महाविद्यालय के पास विद्यार्थी सहायता कोश तथा विद्यार्थी कल्याण कोश है, जिससे जरुरतमंद छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है| योग्यता संबंधी नियम महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं|

3. विशेष वर्ग के छात्रों के लिए कुछ राज्य सरकारों की छात्रवृतियाँ भी उपलब्ध हैं| इन छात्रवृतियों से संबंधित सूचनाएँ कॉलेज सूचना पट्ट पर समय-समय पर उपलब्ध होती हैं| इन छात्रवृतियों के लिए आवेदन अधिसूचित दिनांक तक कॉलेज कार्यालय में करना होगा|

आधारभूत संरचना

पुस्तकालय- एन. एस. प्रधान पुस्तकालय दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट पुस्तकालयों में से एक है| यहाँ की पुस्तकें न केवल शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं बल्कि सामान्य ज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है| यह पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है| इसमें लगभग 1.5 लाख पुस्तकें हैं तथा लगभग 350 विद्यार्थियों के बैठने की जगह है| पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 52 पत्रिकाएँ, विशिष्ट 30 पत्रिकाएँ तथा 16 समाचार पत्र नियमित रूप से आते हैं| पोर्टल प्रकोष्ठ में छात्रों और शिक्षकों के लिए इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है| संदर्भ प्राप्त करने हेतु प्रथम तल पर संदर्भ अनुभाग अवस्थित है, जिसमें बड़ी संख्या में पुस्तकों का भंडार है| दृष्टिबांधित छात्रों के लिए भूतल पर एक नया अत्याधुनिक JAWS तकनीक से युक्त कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण किया गया है| दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑक्सफ़ोर्ड शब्दकोश भी खरीदा गया है| इन छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ब्रेल लिपि में 81 पुस्तकों का संग्रह, 22 टेप रिकॉर्डर, 100 ऑडियो कैसेट तथा 25 आई-पॉड उपलब्ध हैं| पुस्तकालय दृष्टिबाधित छात्रों हेतु नियमित रूप से पत्रिकाएँ भी मँगवाता है|

प्रयोगशालाएँ- महाविद्यालय में प्रदत्त सभी विज्ञान के विषयों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ हैं| इनके अलावा भूगोल, कम्प्यूटर विज्ञान तथा सांख्यिकी विभागों के अपनी प्रयोगशालाएँ हैं|

सम्मेलन कक्ष- सम्मेलन कक्ष में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, वाद-विवाद, सम्मेलन बैठकों, कैरियर मार्गदर्शन आदि का आयोजन किया जाता है।

बैंकिंग तथा एटीएम सुविधा- महाविद्यालय में दो एटीएम तथा एक बैंक है। ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स की एक एटीएम युक्त शाखा महाविद्यालय में संचालित हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक का भी एक एटीएम महाविद्यालय में है। महाविद्यालय के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त हैं।

जलपान (कैंटीन) - किरोड़ी मल कॉलेज जलपान एवं मनोरंजन के लिए उपयुक्त जगह है। यहाँ कैंटीन में विभिन्न प्रकार के भोजन तथा पेय उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। कैंटीन विशाल होने के साथ-साथ साफ़-सुथरी और हवादार है। इसके बाहर बड़े-बड़े वृक्ष सुन्दर और स्वच्छ वातावरण निर्मित करते हैं।

केंद्रीय कंप्यूटर लैब-
पूर्णतः वातानुकूलित कंप्यूटर प्रयोगशाला में छात्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अद्यतन जानकारियों से अवगत हो पाते हैं। विद्यार्थी अपने कंप्यूटर शिक्षा को भी उन्नत करते हैं।

पोर्टल रूम- पूर्णतः वातानुकूलित प्रयोगशाला का प्रयोग विद्यार्थी अपनी अकादमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों को मुफ्त में कई पत्रिकाओं को पढने हेतु प्रदान किया जाता है साथ ही यहाँ पर प्रिंटआउट की सुविधा भी उपलब्ध है।

व्यायामशाला- महाविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए अत्याधुनिक व्यायामशाला है। यहाँ ट्रेडमिल, बेच, वेट, आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

छात्रावास- छात्रावास महाविद्यालय का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ 89 कमरे हैं, जिसमें भारतीय तथा विदेशी छात्र रहते हैं। छात्रावास महाविद्यालय के शैक्षणिक तथा सह-शैक्षणिक क्रियाकलापों को नए आयाम प्रदान करता है।

संकाय कक्ष- महाविद्यालय में आरामदायक, वातानुकूलित, विस्तृत संकाय कक्ष है| चाय-कॉफ़ी की सुविधा के साथ-साथ कंप्यूटर तथा इन्टरनेट सुविधा भी उपलब्ध है|

स्वास्थ्य सुविधाएँ- विद्यार्थियों को **WUS** स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करने के उपरान्त निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं| त्वरित समाधान एवं सुझावों के लिए महाविद्यालय में स्वास्थ्य अधिकारी उपलब्ध होते हैं|

छात्र एवं छात्रा विश्राम कक्ष- महाविद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम (विश्राम कक्ष) हैं| यहाँ तमाम मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं|

शासी निकाय-

क्रम संख्या	नाम	क्षमता (वर्तमान स्थिति)
1	प्रो. उज्जवल कुमार सिंह	अंतरिम अध्यक्ष, महाविद्यालय शासी निकाय
2	श्री टी. एस. कृपानिधि	विश्वविद्यालय कोषाध्यक्ष, पदेन सदस्य
3	प्रो. अजय कुमार दुबे	सदस्य, महाविद्यालय शासी निकाय
4	प्रो. क्रिस्टेल रश्मि देवदासन	सदस्य, महाविद्यालय शासी निकाय
5	डॉ. के. एन. श्रीवास्तव	सदस्य, महाविद्यालय शासी निकाय
6	डॉ. के. एन. चतुर्वेदी	सदस्य, महाविद्यालय शासी निकाय
7	सुश्री पिंकी आनंद	सदस्य, महाविद्यालय शासी निकाय
8	डॉ. मायावती	महाविद्यालय शिक्षक, प्रतिनिधि
9	सुश्री सागरिका दत्ता	महाविद्यालय शिक्षक, प्रतिनिधि
10	डॉ. विभा सिंह चौहान	सदस्य - सचिव

प्रशासन -

प्राचार्या - डॉ. विभा सिंह चौहान

छात्रावास संरक्षक - डॉ. मनोज शर्मा

कोषाध्यक्ष - डॉ. ओ. पी. शर्मा

नोडल अधिकारी - डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय (उच्च शिक्षा)

नोडल अधिकारी (**PWD**) - डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय

प्रशासनिक अधिकारी - मंजू जैन

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - दीपक गोयल

अनुभाग अधिकारी (लेखा) - रामशरण

दाखिला सचिव (एडमिशन) - बारू सिंह

पुस्तकालय अध्यक्ष - डॉ. एम. के. मलहोत्रा

नोडल अधिकारियों की सूची

1. डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय (उच्च शिक्षा) **9811170889**
   r.kr.pandey@gmail.com
2. डॉ. एस. पी. त्रिपाठी **(**लोक शिकायत**)** **9818133501**
   drsptripathi@yahoo.com
3. डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय (दिव्यांग) **9811170889**
   r.kr.pandey@gmail.com
4. डॉ. एम्. रामानंद सिंह **(**पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों हेतु**)** **9871130247**
   ramananda2002@yahoo.com
5. डॉ. सुनील कुमार धीमन (छात्रवृति) **9811120249**
   sukudhiman0206@gmail.com

किरोड़ी मल कॉलेज : दिल्ली शिक्षक प्रभारी **(2019-20)**		
क्रम संख्या	शिक्षक प्रभारी	विभाग
1.	डॉ. राम बाबू	वनस्पति विज्ञान
2.	डॉ. सुनील कुमार सिंह	रसायन विज्ञान
3.	सुश्री निधि शर्मा	वाणिज्य
4.	सुश्री गीतांजलि खेर	कंप्यूटर विज्ञान
5.	सुश्री सौम्यजीत भट्टाचार्य	अर्थशास्त्र
6.	सुश्री पंकज भारती	अंग्रेजी
7.	डॉ. अंशु	भूगोल
8.	डॉ. महेश कुमार	हिंदी
9.	डॉ. अजीत सिंह	इतिहास
10.	डॉ. राज कुमार	गणित
11.	सुश्री सागरिका	दर्शन
12.	डॉ. बीनू गुप्ता	शारीरिक शिक्षा
13.	डॉ. ओ. पी. शर्मा	भौतिकी
14.	डॉ. उमा गुप्ता	राजनीतिक विज्ञान
15.	डॉ. हरीश	संस्कृत
16.	डॉ. अलका सबरवाल	सांख्यिकी
17.	डॉ. मो. याहया (सबा)	उर्दू
18.	डॉ. अंजली प्रियदर्शनी	जंतु विज्ञान
19.	डॉ. दीपक मैती	बांग्ला

समिति एवं संयोज़क -

सचिव, स्टाफ काउंसिल
डॉ. एम. रामानंद सिंह
नामांकन निरीक्षण स्थायी समिति
डॉ. सुनील कुमार सिंह
स्पोर्ट्स समिति
संयोजक : डॉ. अंशू
समय सारणी समिति
संयोजक : श्री रुद्राशीष चक्रवर्ती
कार्यभार समिति
संयोजक : सचिव स्टाफ काउंसिल
विकास एवं रखरखाव समिति
संयोजक : डॉ. उमा गुप्ता
पुस्तकालय समिति
संयोजक : डॉ. संजय वर्मा
छात्रसंघ गतिविधियाँ
स्टाफ सलाहकार : डॉ. प्रतिभा कुमार
परिवर्तन - लैंगिक फोरम एवं **WDC**
संयोजक : शहाना भट्टाचार्या
शुल्क रियायत समिति
संयोजक : डॉ. अखिलेश भारती
विदेशी-छात्र सलाहकार समिति
संयोजक : डॉ. रूपक दात्ताचार्या
प्रोक्टर समिति
संयोजक : डॉ. रसाल सिंह
द प्लेयर
स्टाफ सलाहकार: श्री केवल अरोड़ा
संगीत समिति
स्टाफ सलाहकार: डॉ. शालनी बक्शी
वाद-विवाद समिति
स्टाफ सलाहकार: डॉ. सत्येन्द्र कुमार

ललित कला एवं फोटोग्राफी समिति
स्टाफ सलाहकार: डॉ. गीतांजली खेर
मोनटेज समिति
स्टाफ सलाहकार: श्री सौम्यजित भट्टाचार्या
सेंसेशन समिति
स्टाफ सलाहकार: डॉ. खुसरो मोईन
स्पीक- मेके
स्टाफ सलाहकार: डॉ. मो. मोहसिन
एडवेंचर क्लब
स्टाफ सलाहकार: डॉ. विनोद कुमार
महाविद्यालय पत्रिका
प्रधान संपादक - डॉ. मो. याहया
विवरणिका समिति
संयोजक : डॉ. रजनी गुप्ता
भविष्य निधि समिति
संयोजक : डॉ. वंदना सरीन वालिया
कैंटीन समिति
संयोजक : डॉ, बीनू गुप्ता
बागबानी समिति
संयोजक : डॉ. राम बाबू
पोर्टल समिति
संयोजक : डॉ. एस. पी. त्रिपाठी
नियोज़न प्रकोष्ठ
संयोजक : डॉ. पंकज भारती
कंप्यूटर के लिए केंद्रीय समिति
संयोजक : डॉ. अगम कुमार झा
प्रयास
संयोजक : श्री अरूनीश चौधरी
NPS समिति
संयोजक : श्री बी. सेमथंगा
इको क्लब
संयोजक : डॉ. रुपेश कुमार
व्यायामशाला समिति

संयोजक : श्री विक्रम सिंह चौधरी

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

संयोजक : पन्मेई गाईजॉन

सामान अवसर प्रकोष्ठ

संयोजक : डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार

पूर्व छात्र संगठन

संयोजक : श्री समीर कुमार सिंह

SC/ST प्रकोष्ठ

संयोजक : श्री रवि शंकर

एलुमनाई समिति

संयोजक : श्री समीर कुमार सिंह

LA-VOICE

संयोजक : डॉ. वंदना चौधरी

THE ROUND TABLE

संयोजक : श्री अजय रंजन सिंह

कर्त्तव्य सिविल सेवा समिति

संयोजक : डॉ. प्रवीण अन्शुमन

ENACTUS समिति

संयोजक : श्री रबी शंकर प्रसाद

विभाग और संकाय

बंगाली विभाग

करोड़ीमल कॉलेज का बंगाली विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग का अंग है। पाठ्यक्रम को देश की बहुसंस्कृत विविधता एवं भाषा वैज्ञानिक जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है। बंगाली विभाग बीए (ऑनर्स) के विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक विषय तथा बीए (प्रोग्राम) के विद्यार्थियों को भाषा एवं अनुशासन के रूप में इस भाषा को अध्ययन उपलब्ध कराता है।

वनस्पति विज्ञान विभाग

करोड़ीमल महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की शुरुआत 1973 ई. में हुई जब बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान की शुरुआत हुई। इसके पूर्व केवल प्री-मेडिकल कोर्स के लिए सामान्य मार्गदर्शन कार्यक्रम चलता था। महाविद्यालय के वनस्पति समिति ने मोदनी का उद्देश्य पाठ्य-पुस्तकों की सीमा से बाहर सीखना, जागरूकता फैलाना आदि है। महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष अंतर-महाविद्यालयी "उपकुलपति चल वैजंती पर्यावरण शील्ड" का आयोजन भी करता है। इसकी शुरुआत 1983 ई. में तत्कालीन उपकुलपति प्रोफेसर गुरबख्श सिंह ने किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वनस्पति विज्ञान विभाग विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- राष्ट्रीय सेमिनार, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वागत समारोह, विदाई समारोह, वनस्पति दर्शन यात्राएँ आदि का आयोजन करता है। वार्षिक समारोह के अंतर्गत विभाग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करता है।

संकाय

1. Dr. Renu Kathpalia, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Sunil Kumar Dhiman, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
3. Dr. Rajni Gupta, M.Sc., Ph.D.
4. Dr.Ram Babu, M.Sc., Ph.D.

रसायन विज्ञान विभाग

रसायन विज्ञान विभाग महाविद्यालय के सबसे बड़े विभागों में से एक है। इसकी स्थापना 1954 ई. में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्कृष्टतम रसायन विज्ञान विभागों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विभाग की अकादमिक समिति विभिन्न प्रकार के सेमिनार तथा औद्योगिक यात्राओं का आयोजन करता है। विभाग के पास स्नातक तथा परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों का एक बेहतरीन संग्रह है। विभाग में विभिन्न विदेशी पत्रिकाओं का संदर्भ भी प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन परियोजनाओं तथा औद्योगिक यात्राओं के द्वारा विभाग अपने विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास के मंच प्रदान करता है। विभाग विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

संकाय

1. Dr.Fasihuddin Kamil, M.Sc., Ph.D., FIC
2. Dr.Kalpana Mehrotra, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
3. Dr.Kalpana Bhrara, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
4. Dr. Sudipta Ghosh, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
5. Dr. P.K.Singh, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
6. Dr.Mamta Sharma., M.Sc., Ph.D.
7. Dr. Shalini Nigam, M.Sc., Ph.D.
8. Dr. M.Ramananda Singh, M.Sc., Ph.D.
9. Sh. Ram Sunil Kumar, M.Sc.
10. Dr. Reena Saxena, M.Sc., Ph.D.
11. Dr. Gitanjali Pande, M.Sc., Ph.D.
12. Dr. Rupesh Kumar, M.Sc., Ph.D.
13. Dr. Shalini Baxi, M.Sc., Ph.D.
14. Dr. Sunil Kumar Singh, M.Sc., Ph.D.
15. Dr. Kiran Arora, M.Sc., Ph.D.
16. Dr. Priyanka Jhajharia, M.Sc., Ph.D.
17. Dr. Vinod Kumar, M.Sc., Ph.D.
18. Dr. Palash Jyoti Das, M.Sc., Ph.D.
19. Dr. Shokip Tumtin, M.Sc., Ph.D.
20. Dr. Panmei Gaijon, M.Sc.
21. Dr. Sarika Tejasvi, M.Sc., Ph.D.
22. Dr. Akhilesh Bharti, M.Sc., Ph.D.

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य विभाग छात्रों को अकादमिक रूप से तैयार करने के साथ-साथ अपार मौके भी उपलब्ध करवाता है। विभाग के श्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा उत्कृष्टता की परंपरा को कायम रखने का भरपूर प्रयास किया जाता है। वाणिज्य समिति अकादमिक पर्व का आयोजन करने के साथ-साथ पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

संकाय

1. Dr. Uma Sharma, M.Com., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Seema Joshi, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Dr. Pushpender Kumar, M.I.B., Ph.D.
4. Ms. Balbir Kaur, M. Com, M.Phil.
5. Dr. Sameer Lama, M. Com., M.Phil. Ph.D.
6. Ms. Nidhi Sharma, M.Com.
7. Mr. Vipin Kumar, M.Com.
8. Mr. Arunesh Chaudhary, M. Com.
9. Ms. Leena Devi, M. Com, M. Phil.
10. Mr. Pankaj Kumar, M.Com., M. Phil.
11. Ms. Manisha, M.Com.,
12. Mr. Aakash Punit, M.B.A., M. Phil.

कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से 1981 में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों को आत्मसात करते हुए विभाग ने उत्कृष्ट पेशेवरों को तैयार किया है, जो देश-विदेश में अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। विभाग में कुछ पाठ्यक्रम जैसे प्रोग्रामिंग एवं डाटा संरचना कम्प्यूटर प्रणाली, संरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क आदि का संचालन किया जाता है ।

संकाय

1. Dr. Mamta Sareen, M.C.A., Ph.D.

2. Ms. Geethanjali Kher, M.C.A.

अर्थशास्त्र विभाग

अकादमिक उत्कृष्टता के साथ-साथ विभाग का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर समाज के निर्माण के लिए जागरूक करना है । स्नातक प्रतिष्ठा के सभी छात्र विभाग की इकोनोमिक समिति के सदस्य होते हैं । विभाग का वार्षिक समारोह **PARETO TIME** विश्वविद्यालय के सबसे पुराने समारोहों में से एक है । इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेमिनार, वाद-विवाद तथा संवाद के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है । विभाग की अपनी वार्षिक पत्रिका का नाम **OIKOS** है, जिसमें विद्यार्थी अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं । प्रत्येक दो वर्षों में विभाग एक सार्वजनिक लेक्चर "अरुण बोस मेमोरियल" का आयोजन करता है । मि॰ बोस एक विख्यात व्यक्ति थे, जिन पर महाविद्यालय को गर्व है| प्रो॰ प्रभात पटनायक तथा प्रो॰ अमिय कुमार बागची जैसे सुविख्यात लोगों ने अरुण बोस मेमोरियल लेक्चर की शोभा बढ़ाई है । पूरे वर्ष विभाग तमाम गतिविधियों का आयोजन करता रहता है ।

संकाय

1. Dr. T.Ravi Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Sh. Ajay Ranjan Singh, M.A., M.Phil.
3. Sh. Saumyajit Bhattacharya, M.A., M.Phil.
4. Sh. Rabi Shankar Prasad, M.A., M.Phil.
5. Mr. Samir Kumar Singh, M.A., M. Phil.
6. Dr. Vineeta, M.A., M.Phil., Ph.D.
7. Ms. Niti Khandelwal Garg, M.A., M.Phil.
8. Ms. Chitra Verma, M.A
9. Ms. Madhur Ajmani Sethi, M.A
10. Ms. Pratibha Madan, M.A., M.Phil
11. Ms. Neha Verma, M.A.

अँग्रेजी विभाग

महाविद्यालय के अकादमिक जीवन में अँग्रेजी विभाग का हमेशा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विभाग का लक्ष्य अपने छात्रों को पढ़ने, लिखने तथा सम्पादन कला में निपुणता प्रदान करना है। विभाग अपने विद्यार्थियों को अपनी साहित्यिक तथा साहित्येतर प्रतिभाओं को तराशने हेतु प्रोत्साहित करता है। अँग्रेजी साहित्यिक सोसायटी **GRUB STREET** विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विभाग की साहित्यिक सोसायटी सालभर

कार्यशालाओं, फिल्म प्रदर्शन के साथ-साथ वार्षिक समारोह का भी आयोजन करती है। पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

संकाय

1. Sh. Keval Arora, M.A., M.Phil.
2. Dr. Sunjay Sharma, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Sh. Dhananjay R. Kapse, M.A., M.Phil.
4. Dr. Someshwar Sati, M.A., M.Phil., Ph.D.
5. Sh. Deb Dulal Halder, M.A., M.Phil.
6. Mr. Rudrashish Chakraborty, M.A., M.Phil.
7. Ms. Amrapali Basumatary, M.A., M.Phil.
8. Dr. Nivedita Basu, M.A., M.Phil., Ph.D.
9. Ms. Saumya Garima Jaipuriar, M.A., M.Phil.
10. Ms.Saloni sharma, M.A., M.Phil.
11. Mr. Pankaj Bharti, M.A., M.Phil.
12. Dr. Praveen Kumar Anshuman, M.A., M.Phil., Ph.D.
13. Dr. Sanjay Verma , M.A., Ph.D.
14. Dr. Satyendra Kumar, M.A., Ph.D.
15. Ms. Sukanya Tikadar, M.A., M.Phil.

भूगोल विभाग

भूगोल विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रेष्ठतम विभागों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। विस्तृत क्षेत्र अध्ययन से छात्र देश की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ पाते हैं। विषय की नवीनतम तकनीक को आत्मसात करना विभाग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विभाग के वार्षिक समारोह का नाम **GEOTIME** है तथा वार्षिक पत्रिका का नाम **GEOLINE** है। पूर्व छात्रों का बड़ा समूह विभाग के विद्यार्थियों को संवाद के माध्यम से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है।

संकाय

1. Dr. Seema M Parihar, M.A., M.Phil., Ph.D (On Leave)
2. Dr. Anshu, M.A., M.Phil., Ph.D
3. Dr. Arun Kumar Tripathi, M.A., M.Phil., Ph.D (On Leave)

4. Dr. Karuna Shree, M.A., M.Phil., Ph.D
5. Dr. Khusro Moin, M.A., M.Phil., Ph.D
6. Dr. Md.Baber Ali, M.A., M.Phil., Ph.D
7. Ms. Kanchana Narasimhan, M.A., M.Phil

हिन्दी विभाग

हिन्दी विभाग अपनी अकादमिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है और इसे विभिन्न संगठनों से स्वीकृति भी मिली है। विभाग स्नातक एवं परास्नातक स्तर तक का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता से इतर, विभाग की अपनी सक्रिय एवं प्रतिभाशाली हिन्दी साहित्य सभा है। विभाग प्रत्येक वर्ष अंतर-महाविद्यालयी समारोह 'आकांक्षा' का आयोजन करता है । इस समारोह के अंतर्गत कविता लेखन, निबंध लेखन, समूह चर्चा, आशु-भाषण आदि का आयोजन किया जाता है । छात्रों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने हेतु 'नवकल्पना' नाम की हस्तलिखित भित्ति पत्रिका शुरू की गई है।

संकाय

1. Dr. Mahesh Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Vidya Sinha, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Dr. Bali Singh, M.A., M.Phil., Ph.D.
4. Dr. Beena Jain, M.A., M.Phil., Ph.D.
5. Dr. Pragya, M.A., M.Phil., Ph.D.
6. Dr. Namdev, M.A., M.Phil., Ph.D.
7. Dr. Rasal Singh, M.A., M.Phil., Ph.D.
8. Dr. Shobha Kaur, M.A., Ph.D.

इतिहास विभाग

इतिहास विभाग अपने विद्यार्थियों को भारत तथा विश्व के इतिहास से परिचय करवाता है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत विकास से भी अवगत करवाता है। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत उन संदर्भों को ध्यान में रखा जाता है, जिसने समाज तथा इतिहास को दिशा प्रदान की है। अध्यन-अध्यापन के दौरान तमाम विचारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने-परखने का मौका मिलता है। इतिहास विभाग स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। छात्रों को बहुसांस्कृतिक परिस्थियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा अपने परिवेश के प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण का निर्माण विभाग के शिक्षण की विशेषता है।

इतिहास समिति इतिहासकारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजन करने के साथ-साथ दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह में अपना वार्षिक उत्सव भी आयोजित करती है।

संकाय

1 Mr. Sanjay Verma, M.A., M.Phil.
2 Dr. Vandana Chaudhary, M.A., M.Phil., Ph.D.
3 Dr. Shahana Bhattacharya, M.A., M.Phil., Ph.D.
4 Dr. Manoj Sharma, M.A., M.Phil., Ph.D.
5 Dr. Ajeet Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
6 Dr. Amit Kumar Suman, M.A., M.Phil., Ph.D.
7 Mr. Puneet Yadav , M.A., M.Phil.
8 Mr. Dhiraj Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
9 Mr. Vikram Singh Chaudhary, M.A., M.Phil.

गणित विभाग

महाविद्यालय का गणित विभाग विश्वविद्यालय के उत्कृष्टतम विभागों में एक है। विभाग की अपनी एक सक्रीय गणित समित है जिसका नाम Tensors है और यह प्रत्येक वर्ष गणित उत्सव का आयोजन करती है। विभाग प्रत्येक वर्ष काजी नामिरुद्दीन सेमिनार का आयोजन करता है। गणित विभाग अपने विद्यार्थियों के आकादमिक जरूरतों के प्रति प्रतिबद्ध है।

संकाय -

1. Dr. Pawan Bala, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Pratibha Kumar, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
3. Dr. Shiv Kumar Kaushik, M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Dinesh Khattar, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
5. Dr. Preeti Garg, M.Sc., M.Phil., Ph.D.
6. Dr. Satya Prakash Tripathi, M.Sc., Ph.D.
7. Dr. Raj Kumar, M.Sc., Ph.D.
8. Mr. B Semthanga, M.Sc.

दर्शनशास्त्र विभाग

विभाग स्नातक प्रतिष्ठा स्तर तक के विभिन्न अनुशासनों को विभिन्न विषयों का अध्यापन उपलब्ध करवाता है। ए पाठ्यकर्म स्नातक प्रतिष्ठा के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष से सम्बन्धित है। यह अंतरानुशासनिक तथा अनुशासनिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है। दर्शनशास्त्र के पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं।

संकाय -

1. Dr. Rajib Ray, M.A., M.Phil., Ph. D
2. Ms. Sagarika Datta Purkayastha, M.A., M.Phil.

शारीरिक शिक्षा विभाग

महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों के चतुर्दिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सहशैक्षणिक गतिविधियों सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रमों से सम्बन्धित गतिविधियाँ विद्यार्थिओं के व्यक्तित्व को नया आयाम प्रदान करते हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग खिलाडियों को तमाम प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के उनके पिछले तीन वर्षीय खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर दाखिला प्रदान करता है। खेल-कोटे के तहत दाखिले के लिए शर्तों को निर्धारित करता है। विभाग फुटबाल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, एथलीट, हॉकी, टेबल-टेनिस, क्रिकेट, शतरंज, कोर्फबाल आदि में उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है। खेल जगत में हमारी उपलब्धियाँ हमारे लिए गर्व का विषय हैं। विभाग के पास राष्ट्रमंडल खेल 2010 के मानकों के अनुसार खेल का मैदान है।

संकाय -

1. Dr. Pramod C. Sharma, M.P.Ed., Ph.D.
2. Dr. Benu Gupta, M.P.Ed., Ph.D.

भौतिकी विभाग

भौतिकी विभाग महाविद्यालय के विस्तृत विभागों में से एक है। उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध शिक्षक विभाग को विश्वविद्यालय के बेहतरीन विभागों में से एक बनाते हैं। विभाग की सक्रिय भौतिकी समित जिसका नाम- TACHYONS है। यह समिति प्रसिद्ध वक्ताओं के सेमिनार का आयोजन करती है। यह वार्षिक उत्सव NEWTONIAN का आयोजन भी करती है। वार्षिक उत्सव के मुख्य आकर्षक वाद-विवाद, क्विज, फिल्म प्रदर्शन, विज्ञान सम्बन्धी क्विज आदि का आयोजन है। विभागीय पत्रिका का नाम PHYZION है।

महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लगातार दो वर्षों 'मून बग्गी' के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए बुलाया जाना। इस दल को वृत्तीय सहायता दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी।

संकाय -

1. Dr. O.P. Sharma, M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Sumitra Mohanty Chakrabarty, M.Sc., Ph.D.
3. Dr. R.K. Pandey, M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Sangeeta D. Gadre, M.Sc., Ph.D.
5. Dr. Neena Khanijo, M.Sc., Ph.D.
6. Sh. Krishan Kamal Haldar, M.Sc.
7. Dr. Roshan Kshetrimayum, M.Sc., Ph.D.
8. Mr. Pradyumna Kumar Sethy, M.Sc.
9. Dr. Usha Kulshreshtha, M.Sc., Ph.D.
10. Dr. Bipin Singh Koranga, M.Sc., Ph.D.
11. Mr. Chongtham Jiten, M.Sc.
12. Dr. Siddhartha Lahon, M.Sc., Ph.D.
13. Dr. Agam Kumar jha, M.Sc., Ph.D.
14. Dr. Raksha Sharma, M.Sc., Ph.D.

राजनीति विज्ञान विभाग

प्रसिद्ध विचारक फ्रैंक ठाकुरदास तथा नंदलाल गुप्ता महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग को सुशोभित कर चुके हैं। विभाग विद्यार्थियों को शैक्षिक मार्गदर्शन के साथ बेहतर नागरिक मूल्यों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। विभाग के शिक्षक विश्वविद्यालय के बेहतरीन शिक्षकों में से हैं, जिन्होंने अपने विषय में आला-मुकाम हासिल किया है। विभाग LA POLITICANA का आयोजन करता है। इस दो-दिवसीय उत्सव का मुख्य आकर्षक परिचर्चा, वाद-विवाद, क्विज, फिल्म-प्रदर्शन आदि है।

संकाय -

1. Dr. Uma Gupta, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Rupak Dattagupta, M.A., Ph.D.
3. Dr. Shyam Kumar, M.A., M.Phil., Ph.D.
4. Dr. Roopinder Oberoi, M.A., M.Phil., Ph.D

संस्कृत विभाग

संस्कृत विभाग स्नातक तथा परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। विभाग अपनी अकादमिक गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। विभागीय संस्कृत परिषद वार्षिक उत्सव, सेमिनार आदि का आयोजन करता है। प्रतियोगिता के अंतर्गत वैदिक मन्त्रों के उच्चारण, श्लोक पाठन, संस्कृत क्विज, वाद-विवाद तथा संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया जाता है।

संकाय -

1. Dr. Mayawati, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Harish, M.A, Ph.D.
3. Dr. Subhash Kr. Singh, M.A., M.Phil., Ph.D.

सांख्यिकी विभाग

महाविद्यालय का सांख्यिकी विभाग स्नातक विद्यार्थियों के बीच अपने गुणवत्तापूर्ण शोध एवं उद्योग आधारित शिक्षण के लिए लोकप्रिय है। विभाग सांख्यिकी में व्यवहारिक ज्ञान तथा क्रियाशील शोध संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। अध्यापन के साथ-साथ शिक्षक विद्यार्थिओं के अकादमिक तथा सह-अकादमिक प्रदर्शन का भी ध्यान रखते हैं। विभाग अपना वार्षिक उत्सव भी मनाता है।

संकाय -

1. Ms. Savitri Sharma, M.A., M.Phil.
2. Dr. Vandana Sarin Walia, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Ms. Rashmi Goel, M.A., M.Phil.
4. Dr. Gopa Karmakar, M.A., M.Phil., Ph.D.
5. Dr. Alka Sabharwal, M.A., M.Phil., Ph.D.
6. Sh. Shrawan Kumar, M.A., M.Phil.

उर्दू विभाग

प्रसिद्ध शिक्षाविद, लोकप्रिय शिक्षक तथा छात्र महाविद्यालय के उर्दू विभाग से जुड़े रहें हैं। खलीद अशरफ, डॉ. आहया सबा और डॉ. मोहसिन जैसे नाम शामिल हैं। स्नातक स्तर की कक्षाएं 1980 ई. में प्रो. कामिल कुरैशी के द्वारा शुरू की गईं। विभाग BA (H), BA(P) तथा विभिन्न अंतर-अनुशासनिक पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराता है। उर्दू काव्य-संस्कृति तथा विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मौकों पर विभाग सेमिनार, मुशायरा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विभाग जरूरतमंद

उर्दू लेखकों के लिए मदद भी मुहैया करवाता है। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग उर्दू के विद्यार्थियों को वजीफा भी देता है। विभाग ने महाविद्यालय की विद्वता परम्परा को और मुकम्मल किया है।

संकाय -

1. Dr. Khalid Ashraf, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dr. Md. Yahya, M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Dr. Md. Mohsin, M.A., M.Phil., Ph.D.
4. Dr. Mujeeb Ahmad Khan, M.A., M.Phil., Ph.D.

जंतु विज्ञान विभाग

जंतु विज्ञान विभाग में 8 संकाय सदस्य तथा लगभग 50 सक्रिय स्नातक स्तर के छात्र हैं। संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता विविध क्षेत्रों जैसे- पारिस्थितिकी, कोशिका, अनुवांशिकता, बायोटेक्नोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान, कीट-विज्ञान, मतस्य विज्ञान, पशु व्यवहार आदि में है। विभाग के शिक्षक विभिन्न शोध-परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। स्नातक स्तर के छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षण के साथ-साथ शोध के क्षेत्र में पर्याप्त मौके उपलब्ध करवाने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। विभाग का प्रयास है कि अनुवांशिकी विज्ञान तथा बायोटेक्नोलॉजी के संयोजन से प्रोकार्योटिक तथा युकार्योटिक के रहस्यों को उद्घाटित करना है।

संकाय -

1. Dr. Anita Kamra Verma, M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Anjali Priyadarshani, M.Sc., Ph.D.
3. Dr. Sanjukta Das, M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Gauri Garg, M.Sc., Ph.D.

पुस्तकालय

एस. एन. प्रधान पुस्तकालय विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है। यह न केवल महाविद्यालय की अकादमिक जरूरतों को पूरा करता है। बल्कि सामान्य रूचि की पुस्तकों का बड़ा संग्रह भी इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह पूर्णतः कम्प्यूटरीकृति है, जहाँ लगभग 1.5. लाख पुस्तकें हैं। यहाँ लगभग 350 विद्यर्थियों के बैठने की सुविधा है। यहाँ 16 समाचार पत्र सहित विभिन्न विषयों की 52 पत्रिकाएं, 30 शोध पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं। पोर्टल कक्ष में शिक्षकों तथा छात्रों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

छात्रावास

किरोड़ी मल महाविद्यालय उच्च शिक्षित विद्वानों से सुसज्जित एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय है, जो विभिन्न अनुशासनों में शिक्षा प्रदान करता है। महाविद्यालय ने शिक्षण, खेलकूद तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण सफलताएँ अर्जित की है। इसी प्रकार किरोड़ी मल महाविद्यालय के छात्रावास से संबंधित कई ख्यातिलब्ध सदस्यों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय का नाम ऊँचा किया है। अमिताभ बच्चन, नवीन पटनायक, कुलभूषण खरबंदा, श्री सुशांत सिंह आदि कुछ प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति छात्रावास से जुड़े रहे हैं। छात्रावास महाविद्यालय प्रांगण में ही स्थित है। हाल ही में इसके भवन का नवीनीकरण किया गया है। छात्रावास के कई भाग जैसे मैस, भोजन-कक्ष, विश्राम-कक्ष, अध्ययन कक्ष, छात्रावास कार्यालय तथा छात्रावास संरक्षक कार्यालय हैं। पूरे छात्रावास में 24*7 मुफ्त वाई-फाई सुविधा है। **CCTV** कैमरे की निगरानी के द्वारा सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के अपने मूलभूत उद्देश्य को पूरा करते हुए छात्रावास प्रतिभागियों के बेहतर विकास में भी सहायक है| सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियों के द्वारा छात्रावास का वातावरण सकारात्मक बना रहता है| प्रत्येक विद्यार्थी को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है| यह विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है| छात्रावास लगातार आपसी समझ तथा सहिष्णुता के वातावरण को बनाए रखता है|

महाविद्यालय के प्राचार्य छात्रावास के संरक्षक हैं| छात्रावास के आतंरिक मामलों के देखरेख के लिए एक पूर्णकालिक छात्रावास संरक्षक होता है' जिसकी सहायता के लिए छात्रावास नामांकन समिति होती है|

नियम एवं अधिसूचनाएँ

अधिनियम 15 - बी. - विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन कायम करना|

1. अनुशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ उप-कुलपति में निहित है|

2. उप-कुलपति सभी या कुछ शक्तियों को जैसा वह उपयुक्त समझे, प्रॉक्टर या सक्षम व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझे, सौंप सकता है|

3. बिना किसी पूर्वाग्रह के, निम्नलिखित कृत्यों को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा जायेगा|

1. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी संस्था/विभागों के शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, विद्यार्थियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या हिंसा की धमकी|

2. किसी भी हथियार को साथ रखना, उपयोग करना या उपयोग की धमकी देना

3. लोक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन

4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना

5. महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार का मौखिक या अन्य अपशब्द का प्रयोग

6. किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या घूस

7. संस्थागत संपत्ति को जानबूझ कर नुक्सान पहुँचाना

8. धार्मिक या सांप्रदायिक असहिष्णुता

9. विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक क्रियाकलापों में व्यवधान पैदा करना

10. अधिसूचना 15C के अनुसार रैगिंग

4. अनुशासन को बनाए रखने हेतु उप-कुलपति बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी विद्यार्थी को निम्नलिखित स्थितियों में निम्न आदेश जारी कर सकता है-

1. निष्कासन

2. कुछ समय के लिए निष्कासन

3. निष्कासित नहीं करना, और कोर्स को पूरा करने देना

4. कुछ आर्थिक दंड लगाया जा सकता है

5. एक या अधिक वर्ष तक विश्वविद्यालय, विभाग या महाविद्यालय की परीक्षा में बैठने पर प्रतिबन्ध

6. परीक्षा परिणाम रद्द किया जाना

5. महाविद्यालयों के प्राचायों, छात्रावासों के संरक्षक, संकायों के अधिष्ठाता, विभागों के प्रमुख, दूरस्थ शिक्षा विद्यालय प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष अपने कार्यक्षेत्र में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार हैं| वो स्वयं या अपने किसी विश्वसनीय शिक्षकों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं|

6. उप-कुलपति की शक्तियों के संदर्भ को बिना किसी पूर्वाग्रह के नियम बनाए जाएँ| इन नियमों के अतिरिक्त नियम भी प्राचार्यों, छात्रावास संरक्षकों आदि के द्वारा बनाए जा सकते हैं| प्रत्येक विद्यार्थी को इन नियमावली की प्रति दी जानी आवश्यक है|

7. नामांकन के समय प्रत्येक विद्यार्थी को एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा| इस पत्र के अंतर्गत विद्यार्थी अनुशासन सम्बन्धी सभी प्रावधानों और दंड नियमों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा|

अधिसूचना **XV-C.** रैगिंग का निषेध एवं दंड नियम

1. कॉलेज / विभाग या संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर या सार्वजनिक परिवहन के भीतर किसी भी रूप में रैगिंग वर्जित है।

2. किसी भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से रैगिंग सकल अनुशासनहीनता के अंतर्गत आएगी।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत रैगिंग का अर्थ है किसी भी कार्य, आचरण या अभ्यास जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्रों के द्वारा नए कनिष्ठ छात्रों को कमतर या हीन माना जाता है और इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्यों या प्रयासों को शामिल किया जाता है जैसे-

(ए) शारीरिक हमला या शारीरिक बल प्रयोग की धमकी।

(बी) छात्राओं के पद, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का उल्लंघन;

(ग) अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्थिति, प्रतिष्ठा और सम्मान का उल्लंघन;

(डी) छात्रों का उपहास और अवमानना करना और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना।

(ई) मौखिक दुर्व्यवहार और आक्रामकता, अशोभनीय इशारे और अश्लील व्यवहार का प्रदर्शन।

4. कॉलेज के प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष या किसी संस्था के प्रमुख, कॉलेज के प्राधिकारी, या हॉस्टल के वार्डन रैगिंग की किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

5. उपर्युक्त खंड (4) में कुछ भी नहीं होने के बावजूद, प्रॉक्टर स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जाँच कर सकता है और रैगिंग की किसी भी घटना में और रैगिंग में लिप्त लोगों की पहचान और घटना की प्रकृति के बारे में उपकुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

6. प्रॉक्टर रैगिंग के अपराधियों और रैगिंग की घटना की प्रकृति के संदर्भ में एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।

7. यदि किसी कॉलेज के प्राचार्य या विभाग के प्रमुख या संस्थान या प्रॉक्टर संतुष्ट हैं कि किसी कारण से इस तरह की पूछताछ करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है तो वह उपकुलपति को सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसे मामले को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

8. जब कुलपति संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।

9. क्लॉज़ (5) या (6) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर या क्लॉज़ (7) के तहत संबंधित प्राधिकरण द्वारा एक निर्धारण द्वारा क्लॉज़ 3 (ए), (बी) और (सी) में वर्णित रैगिंग की घटनाओं की घटना का खुलासा किया जाता है। कुलपति एक निश्चित वर्षों के लिए किसी छात्र या छात्रों के निष्कासन का आदेश पारित कर सकेगा।

10. रैगिंग के अन्य मामलों में कुलपति निर्देश दे सकता है कि किसी भी छात्र या छात्रा को निष्कासित कर दिया जाए या एक निश्चित अवधि के लिए किसी कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम में भर्ती कराया जाए, एक या अधिक वर्षों के लिए निष्कासित किया जाए या परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्राओं के परिणाम रद्द किए जाएँ।

11. यदि किसी छात्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की है और वह इस अध्यादेश के तहत दोषी पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय उपाधियों को वापस लेने के लिए क़ानून 15 के तहत उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

12. इस अध्यादेश के अंतर्गत रैगिंग के लिए किसी भी कृत्य के माध्यम से, रैगिंग के अभ्यास या उकसावे को भी रैगिंग माना जाएगा।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी निर्देशों / निर्देशों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाएगा, और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए कुलपति को सहायता देने के लिए बाध्य होंगे।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935
No. 593] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 18, 1935

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 769(अ).—केंद्रीय सरकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से कार्यस्थल पर महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) "शिकायत" से धारा 9 के अधीन की गई शिकायत अभिप्रेत है;

(ग) "शिकायत समिति" से आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति अभिप्रेत है;

(घ) "घटना" से धारा 2 के खंड (ढ) में यथा–परिभाषित लैंगिक उत्पीड़न की घटना अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(च) "विशेष शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विशेष जरूरतों वाले लोगों के साथ ऐसे ढंग से संचार करने के लिए प्रशिक्षित है, जिससे उनके व्यक्तिगत मतभेदों एवं आवश्यकताओं का समाधान होता है;

(छ) यहां शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम मे परिभाषित किए गए हैं, उनके अर्थ वही होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए फीस या भत्ते :

(1) गैर–सरकारी संगठनों मे नियुक्त सदस्य, आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रुपये के भत्ते के हकदार होंगे, और उक्त सदस्य रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन या वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि, जो भी, कम हो प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

(2) नियोक्ता उप–नियम (1) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. **लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति :** धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई सम्मिलित हो सकेगा –

(क) समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तीकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है।

5. **स्थानीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिए फीस या भत्ता :**

(1) स्थानीय समिति के अध्यक्ष उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) के भत्ते के लिए हकदार होंगे।

(2) धारा 7 की उप–धारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न स्थानीय समिति के सदस्य, उक्त समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए प्रतिदिन दो सौ रूपये के भत्ते के हकदार होंगे और रेलगाड़ी से थ्री टायर वातानुकूलन, वातानुकूलित बस से तथा आटोरिक्शा या टैक्सी से अथवा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

(3) जिला अधिकारी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट भत्तों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।

6. **लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत :** धारा 9 की उप–धारा (2) के प्रयोजन के लिए,

(i) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –

(क) उसका नातेदार या मित्र ; अथवा ;

(ख) उसका सहकर्मी; या

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी; या

(घ) व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी है ।

(ii) जहां व्यथित महिला, अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां निम्नलिखित द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है –

(क) उसका नातेदार या मित्र; अथवा

(ख) कोई विशेष शिक्षक; या

(ग) कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक; अथवा

(घ) संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है; अथवा

(ङ) उसके नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हता–प्राप्त मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक अथवा प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है, के साथ संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है।

(iii) जहां व्यथित महिला, किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वहां उसकी लिखित सम्मति से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है, जिसे घटना की जानकारी है।

(iv) जहां व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है वहां एक शिकायत, घटना के जानकार द्वारा उसके विधिक वारिस की सम्मति से लिखित रूप में फाइल की जा सकेगी ।

7. **शिकायत की जांच का ढंग –**

(1) शिकायत फाइल करते समय, धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेजों तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत की छह प्रतियां शिकायत समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत समिति उपनियम (1) के अधीन व्यथित महिला से प्राप्त प्रतियों में से एक प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को भेजेगी।

(3) प्रत्यर्थी उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक अवधि के भीतर दस्तावेजों की सूची तथा साक्षियों के नाम एवं पता के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल करेगा।

(4) शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, शिकायत की जांच करेगी।

(5) शिकायत समिति को जांच की कार्यवाही समाप्त करने या शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी पर्याप्त कारण के बिना यथास्थिति अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा आयोजित लगातार तीन सुनवाइयों में अनुपस्थित रहता है या रहती है :

परंतु संबंधित पक्षकार को अग्रिम में लिखित रूप में पन्द्रह दिन का नोटिस दिए बिना ऐसी समाप्ति या एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा।

(6) पक्षकारों को शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही के किसी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विधिक व्यावसायी को लाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) जांच का संचालन करते समय, शिकायत समिति के कम से कम तीन सदस्य जिसमें यथास्थिति पीठासीन अधिकारी अथवा अध्यक्ष, हो, उपस्थित होंगे ।

8. **जांच लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को अन्य अनुतोष** : व्यथित महिला के लिखित रूप में अनुरोध पर, शिकायत समिति नियोक्ता से निम्नलिखित की सिफारिश कर सकती है :

(क) व्यथित महिला के कार्य निष्पादन या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने तथा इसे किसी अन्य अधिकारी को आबंटित करने से प्रत्यर्थी को अवरुध करना ।

(ख) शैक्षिक संस्था के मामले में व्यथित महिला की किसी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण करने से प्रत्यर्थी को अवरुध करना ।

9. **लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने की रीति** : ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां सेवा नियम विद्यमान हैं जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गए हैं, यह यथास्थिति नियोक्ता या जिलाधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है जिसमें लिखित रूप में क्षमा याचना करना, चेतावनी जारी करना, डांटना या निंदा करना, प्रोन्नति रोकना, वेतनबढ़ोत्तरी या वेतनवृद्धि रोकना, प्रत्यर्थी को सेवा समाप्ति करना या परामर्श सत्र में भाग लेने या सामुदायिक सेवा करने का आदेश देना शामिल है।

10. **मिथ्या अथवा दुर्भावपूर्ण शिकायत अथवा मिथ्या साक्ष्य पर कार्रवाई** : उन मामलों के सिवाय जहां सेवा नियम विद्यमान हैं, जहां शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन दुर्भावपूर्ण है अथवा व्यथित महिला अथवा शिकायत करने वाली अन्य किसी व्यक्ति ने यह जानते हुए कि यह मिथ्या है शिकायत की है अथवा व्यथित महिला या शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति ने कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो यह यथास्थिति नियोक्ता अथवा जिला अधिकारी को नियम 9 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी ।

11. **अपील** : धारा 18 के उपबंधों के अधीन, धारा 13 की उप–धारा (2) के अधीन या धारा 13 की उप–धारा (3) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन अथवा धारा 14 की उपधारा (1) या उप–धारा (2) या धारा 17 के अधीन की गयी सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित अपीली प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

12. **धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड** – धारा 17 के उपबंधों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो नियोक्ता ऐसे व्यक्ति से शास्ति के रूप में पांच हजार रूपये की राशि की वसूली करेगा ।

13. **कार्यशालाएं आदि आयोजित करने की रीति** : धारा 19 के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक नियोक्ता,–

(क) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रतिशेध, निवारण एवं प्रतितोष के लिए एक आंतरिक नीति या चार्टर या संकल्प् या घोषणा तैयार करेगा तथा उसका व्यापक प्रसार करेगा, जिसका आशय लिंग संवेदी सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देना तथा ऐसे अंतर्निहित कारकों का निवारण करना है, जो महिलाओं के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य परिवेश में योगदान करते हैं;

(ख) आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए, प्रबोधन कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का क्रियान्वयन करेगा;

(ग) कर्मचारी जागरुकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा तथा संवादों के लिए मंच का सृजन करेगा जिसमें पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा, महिला समूह, मातृ समितियां, किशोर समूह, शहरी स्थानीय निकाय तथा कोई अन्य निकाय, जिसे आवश्यक समझा जाए, अंतर्वलित हो सकते हैं;

(घ) आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करेगा;

(ङ) आंतरिक समिति के सभी सदस्यों के नामों एवं संपर्क के ब्यौरों की घोषणा करेगा;

(च) अधिनियम के उपबंधों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, कार्यशालाओं एवं जागरुकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए, राज्य सरकारों द्वारा विकसित मापदंडों का उपयोग करेगा।

14. **वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना** : वार्षिक रिपोर्ट जिसे धारा 21 के अंतर्गत शिकायत समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :

(क) वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;

(ख) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जो नब्बे दिन से अधिक अवधि तक लंबित हैं;

(घ) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या;

(ङ) नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप।

[फा. सं. 19–5/2013–डब्ल्यूडब्ल्यू]

डॉ. श्रीरंजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2013

G.S.R. 769(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
(b) "complaint" means the complaint made under section 9;
(c) "Complaints Committee" means the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;
(d) "incident" means an incident of sexual harassment as defined in clause (n) of section 2;
(e) "section" means a section of the Act;
(f) "special educator" means a person trained in communication with people with special needs in a way that addresses their individual differences and needs;
(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Fees or allowances for Member of Internal Committee.-** (1) The Member appointed from amongst non-government organisations shall be entitled to an allowance of two hundred rupees per day for holding the proceedings of the Internal Committee and also the reimbursement of travel cost incurred in travelling by train in three tier air condition or air conditioned bus and auto rickshaw or taxi, or the actual amount spent by him on travel, whichever is less.

The employer shall be responsible for the payment of allowances referred to in sub-rule (1).

4. **Person familiar with issues relating to sexual harassment.-** Person familiar with the issues relating to sexual harassment for the purpose of clause (c) of sub-section (1) of section 7 shall be a person who has expertise on issues relating to sexual harassment and may include any of the following:-

(a) a social worker with at least five years' experience in the field of social work which leads to creation of societal conditions favourable towards empowerment of women and in particular in addressing workplace sexual harassment;
(b) a person who is familiar with labour, service, civil or criminal law.

1. **Fees or allowances for Chairperson and Members of Local Committee.-** (1) The Chairperson of the Local Committee shall be entitled to an allowance of two hundred and fifty rupees per day for holding the proceedings of the said Committee.

(2) The Members of the Local Committee other than the Members nominated under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 7 shall be entitled to an allowance of two hundred rupees per day for holding the proceedings of the said Committee and also the reimbursement of travel cost incurred in travelling by train in three tier air condition or air conditioned bus and auto rickshaw or taxi, or the actual amount spent by him on travel, whichever is less.

The District Officer shall be responsible for the payment of allowances referred to in sub-rules (1) and (2).

6. **Complaint of sexual harassment.** – For the purpose of sub-section (2) of Section 9,-

(i) where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical incapacity, a complaint may be filed by –

(a) her relative or friend; or
(b) her co-worker; or
(c) an officer of the National Commission for Women or State Women's Commission; or
(d) any person who has knowledge of the incident, with the written consent of the aggrieved woman;

(ii) where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her mental incapacity, a complaint may be filed by-
(a) her relative of friend; or
(b) a special educator; or
(c) a qualified psychiatrist or psychologist; or
(d) the guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care; or
(e) any person who has knowledge of the incident jointly with her relative or friend or a special educator or qualified psychiatrist or psychologist, or guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care;

(iii) where the aggrieved woman for any other reason is unable to make a complaint, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with her written consent;

(iv) where the aggrieved woman is dead, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with the written consent of her legal heir.

7. **Manner of inquiry into complaint.-** (1) Subject to the provisions of section 11, at the time of filing the complaint, the complainant shall submit to the Complaints Committee, six copies of the complaint along with supporting documents and the names and addresses of the witnesses.

(2) On receipt of the complaint, the Complaints Committee shall send one of the copies received from the aggrieved woman under sub-rule (1) to the respondent within a period of seven working days.

(3) The respondent shall file his reply to the complaint along with his list of documents, and names and addresses of witnesses, within a period not exceeding ten working days from the date of receipt of the documents specified under sub-rule (1).

(4) The Complaints Committee shall make inquiry into the complaint in accordance with the principles of natural justice.

(5) The Complaints Committee shall have the right to terminate the inquiry proceedings or to give an *ex-parte* decision on the complaint, if the complainant or respondent fails, without sufficient cause, to present herself or himself for three consecutive hearings convened by the Chairperson or Presiding Officer, as the case may be:

Provided that such termination or ex-parte order may not be passed without giving a notice in writing, fifteen days in advance, to the party concerned.

(6) The parties shall not be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Complaints Committee.

(7) In conducting the inquiry, a minimum of three Members of the Complaints Committee including the Presiding Officer or the Chairperson, as the case may be, shall be present.

8. **Other relief to complainant during pendency of inquiry.-**The Complaints Committee at the written request of the aggrieved woman may recommend to the employer to-
(a) restrain the respondent from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report, and assign the same to another officer;
(b) restrain the respondent in case of an educational institution from supervising any academic activity of the aggrieved woman.

9. **Manner of taking action for sexual harassment.-** Except in cases where service rules exist, where the Complaints Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer or the District Officer, as the case may be, to take any action including a written apology, warning, reprimand or censure, withholding of promotion, withholding of pay rise or increments, terminating the respondent from service or undergoing a counselling session or carrying out community service.

5155 GI/13-2

10. Action for false or malicious complaint or false evidence.- Except in cases where service rules exist, where the Complaints Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent is malicious or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document, it may recommend to the employer or District Officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of rule 9.

11. Appeal.- Subject to the provisions of section 18, any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clauses (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or sub-section (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the appellate authority notified under clause (a) of section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946).

12. Penalty for contravention of provisions of section 16.- Subject to the provisions of section 17, if any person contravenes the provisions of section 16, the employer shall recover a sum of five thousand rupees as penalty from such person.

13. Manner to organise workshops, etc.– Subject to the provisions of section 19, every employer shall-

(a) formulate and widely disseminate an internal policy or charter or resolution or declaration for prohibition, prevention and redressal of sexual harassment at the workplace intended to promote gender sensitive safe spaces and remove underlying factors that contribute towards a hostile work environment against women;
(b) carry out orientation programmes and seminars for the Members of the Internal Committee ;
(c) carry out employees awareness programmes and create forum for dialogues which may involve Panchayati Raj Institutions, Gram Sabha, women's groups, mothers' committee, adolescent groups, urban local bodies and any other body as may be considered necessary;
(d) conduct capacity building and skill building programmes for the Members of the Internal Committee;
(e) declare the names and contact details of all the Members of the Internal Committee;
(f) use modules developed by the State Governments to conduct workshops and awareness programmes for sensitising the employees with the provisions of the Act.

14. Preparation of annual report.- The annual report which the Complaints Committee shall prepare under Section 21, shall have the following details:-

(a) number of complaints of sexual harassment received in the year;
(b) number of complaints disposed off during the year;
(c) number of cases pending for more than ninety days;
(d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;
(e) nature of action taken by the employer or District Officer.

[F. No. 19-5/2013-WW]

Dr. SHREERANJAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SPORTS COUNCIL

किरोड़ीमल कॉलेज का खेलों में शानदार इतिहास रहा है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटर-कॉलेज टूर्नामेंटों में एक ही साल में (तीन प्रमुख खेलों सहित) पांच प्रथम स्थान हासिल करने का रिकॉर्ड रखता है, और एक बार इसे सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड कॉलेज होने के लिए प्रतिष्ठित कुलपति की ट्रॉफी से सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त है। साल दर साल, हमने कई खेलों में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली राज्य और जूनियर भारत की टीमों को उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रदान किए हैं। कॉलेज हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और शतरंज के लिए बेहतरीन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष भी छात्रों ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को जारी रखा है। बास्केटबॉल में पुरुषों की टीम ने इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया; एथलेटिक्स में छात्रों ने कई पदक जीते जिसमें 4x100 मीटर रिले और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक शामिल है। शतरंज में छात्रों ने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। कॉलेज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस शैक्षणिक सत्र में आयोजित पैरा-खेल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कॉलेज द्वारा हर साल पैरा-स्पोर्टिंग इवेंट आयोजित किए जाते हैं जिसमें प्रयास - कॉलेज की सक्षम इकाई सक्रिय भूमिका निभाती है। 'खेलो प्रयास' का आयोजन विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए किया गया जिसमें विश्वविद्यालय के 15 से अधिक कॉलेजों से पैरा-एथलेटिक्स ने भाग लिया।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

किरोड़ी मल कोलेज का एन.सी.सी. विंग विश्वविद्यालय में श्रेष्ठ समूहों में से एक है। वर्ष 1964 में अपनी स्थापना के समय से इस एन.सी.सी. यूनिट ने लंबी यात्रा तय की है। इसका अपना एक सक्रिय प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कैलेंडर है। कॉलेज में पुरुष और महिला कैडेट के लिए एन.सी.सी. प्रशिक्षण की सुविधा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना सक्रिय रूप से लागू है। राष्ट्रीय सेवा योजना एक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक विवेक जगाना है। यह लोगों के बीच काम करने का अवसर प्रदान करता है। छात्र स्वयंसेवक समाज की समस्याओं को कम करने के लिए करुणा और रचनात्मक रूप से काम करते हैं। संगठन पूरे वर्ष रक्तदान शिविरों और साक्षरता अभियानों का आयोजन करता रहता है।

छात्र स्वच्छ और हरित पर्यावरण क्लब के साथ भी काम करते हैं। **NSS** अपने वार्षिक उत्सव **SUPATH** की मेजबानी करता है जिसमें छात्रों द्वारा अत्यधिक उत्साह के साथ स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा की जाती है।

<u>नियोजन प्रकोष्ठ</u>

किरोड़ीमल कॉलज का नियोजन प्रकोष्ठ- **AVENUES** हमारे छात्रों के लिए प्लेसमेंट हासिल करने में बहुत सक्रिय रहा है। विप्रो टेक्नोलॉजी, मैकिंसे, ताज ग्रुप, गूगल, एबीएन-अमरो, आदि जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने कॉलेज के स्नातकों को अपनी संस्था में नौकड़ी दी है। 2009-10 में **Avenues** ने और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इस साल की शुरुआत कॉर्पोरेट प्लानिंग एग्जीक्यूटिव की भूमिका के लिए इन्फोसिस के कैंपस रिक्रूटमेंट से हुई, जिसका सालाना पैकेज 3.5 लाख प्रतिवर्ष था। गौरतलब है कि इंफोसिस ने पहली बार इस प्रोफाइल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया था। इसके बाद वर्जिन और क्वांटम मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में इंटर्नशिप प्लेसमेंट हुए। **AVENUES** एक रीथिंकिंग पर्सनैलिटी कोटिएंट प्रोग्राम (आरपीक्यू) का भी आयोजन करता है जो समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार का सामना करने के लिए सेमिनार आयोजित करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट, **CAT** और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करवाता है। ये सेमिनार हमेशा बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करते हैं।

<u>प्रयास</u>

कॉलेज की सक्षम इकाई प्रयास का गठन 2006 में किया गया था। तब से इस इकाई ने समावेशी अंतरा और अंतर कॉलेज सांस्कृतिक समारोहों की नियमित रूप से मेजबानी की है और दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों के बारे में कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए कई अन्य आयोजन किए हैं। प्रयास, अपने 70 से अधिक छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से, दिव्यांग छात्रों की अकादमिक जरूरतों को पूरा करती है और उन्हें आवश्यकतानुसार तकनीकी और मानवीय सहायता प्रदान करती है। पिछले 10 वर्षों में इकाई ने सफलतापूर्वक परिसर में एक समावेशी शिक्षण और सीखने के माहौल को बनाने और बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

परिवर्तन

PARIVARTAN लैंगिक मुद्दों पर बहस और चर्चा का एक मंच है। यह लैंगिक रूढ़िवाद, भेदभाव और हिंसा से संबन्धित मुद्दों पर फिल्म शो, कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सोसायटी एक प्रशिक्षित काउंसलर की सेवाएं प्रदान करती है। लैंगिक भेदभाव से मुक्त वातावरण का निर्माण इसका एक प्राथमिक उद्देश्य है। फोरम लिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे- यौन हिंसा, उत्पीड़न, समाजीकरण, पितृसत्ता, स्त्रीत्व, पुरुषत्व इत्यादि पर द्वि-साप्ताहिक बैठकें करता है। ये बैठकें सामाजिक वास्तविकताओं की समझ विकसित करने और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता के संदर्भ में गहरी समझ पैदा करती हैं। फोरम लिंग आधारित हिंसा के मुद्दों पर सदस्यों के लिए एक विशेष सीमित - समूह कार्यशाला का भी आयोजन करता है। 'परिर्वतन' अपने छात्रों के द्वारा ली गई सराहनीय रुचि और जिम्मेदारी के आधार पर अगले सत्र में एक उत्साही वर्ष के लिए उत्सुक है।

सांस्कृतिक समिति

किरोड़ीमल कॉलेज का नाटक, वाद-विवाद, संगीत, ललित कला, फोटोग्राफी, नृत्य और फिल्म में निरंतर सांस्कृतिक गतिविधियों का विशिष्ट इतिहास रहा है। ये गतिविधियाँ सांस्कृतिक समितियों के द्वारा आयोजित की जाती हैं, जैसे- **PLAYERS, DEBSOC, MUSOC, FAPS, SENSATION** और **THE FILM SOCIETY**।

द प्लेअर्स

द प्लेयर्स दिल्ली का एक प्रमुख कैंपस थिएटर ग्रुप है, जिसके पूरे 52 साल के इतिहास में रोमांचक और विविध गतिविधियों का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है। इसके सदस्यों को विभिन्न थिएटर कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। द प्लेयर्स के पूर्व छात्रों ने थिएटर, सिनेमा, टेलीविजन और संबंधित क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। द प्लेयर्स हर साल अपने इंटर कॉलेज थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी करता है। इस उत्सव के दौरान गैर-प्रतिस्पर्धी प्रारूप के अंतर्गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज नुक्कड़ नाटक और मंच नाटकों का प्रदर्शन और विश्लेषण किया जाता है। यह उत्सव प्रमुख फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के नेतृत्व में जीवंत नाट्य प्रदर्शन का गवाह बनता है।

DEBSOC

DEBSOC के सदस्य बहस और क्विज़ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। **DEBSOC** वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिसमें वाद-विवाद उत्सव 'द गिफ्ट ऑफ द गेव' और हिंदी डिबेटिंग लीग 'मंथन' शामिल है।

MUSOC

शास्त्रीय और सुगम संगीत के क्षेत्र में **MUSOC** की विश्वविद्यालय में एक प्रमुख उपस्थिति है। अपने सदस्यों के साथ व्यक्तिगत और समूह गायनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसने प्रशंसा अर्जित की है और जहाँ भी इसके सदस्यों ने प्रदर्शन किया है, अपनी एक विशिष्ट पहचान बनायी है। **MUSOC** एक ऐसा समूह है जो भारतीय एवं पश्चिमी संगीत में अपनी व्यापक उपस्थिति दर्ज कराता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर इसके अच्छे प्रदर्शनों की सराहना की जाती है।

ललित कला एवं फोटोग्राफी समिति

FAPS ने विश्वविद्यालय परिसर में ललित कला और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपने रचनात्मक कार्यों के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की है । यह हर साल अपने वार्षिक उत्सव और प्रदर्शनी

आयोजित करता है। इन आयोजनों में दिल्ली और बाहर के प्रतिष्ठित कॉलेजों से भारी संख्या में छात्र आते हैं।

SENSATION- नृत्य समिति

SENSATION- जहाँ भी इसने अपनी प्रस्तुति दी है वहाँ दर्शकों को अपनी प्रतिभा और क्षमता से इसने प्रभावित किया है। यह समिति भारतीय एवं पश्चिमी नृत्य प्रतीकों को अपनाकर जिनमें हिप-हॉप, बी-बॉयिंग, समकालीन और इंडो जैज़ जैसे विभिन्न प्रकार के नृत्य शामिल हैं, से बेहतरीन प्रस्तुतियाँ देती है।

फिल्म समिति

फिल्म समिति छात्रों को फिल्मों की समृद्ध विरासत से अवगत करने के साथ-साथ उसके विभिन्न आयामों से भी रूबरू कराती है। फिल्म सोसाइटी पूरे वर्ष सक्रिय रहती है। यह भारतीय और विदेशी फिल्मों, पुरानी क्लासिक्स और समकालीन फिल्मों से लेकर वृत्तचित्र और फीचर फिल्मों तक का प्रदर्शन करती है| फिल्मों को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और अधिकांश प्रदर्शन के पश्चात परिचर्चा भी आयोजित की जाती है। सोसाइटी फिल्म मेकिंग के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेते हैं। समिति इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाने और पर्याप्त अवसंरचनात्मक निर्माण करने के लिए आशान्वित है ताकि हमारे सदस्य इस वर्ष लघु फिल्म बनाने की कार्यप्रणाली सीख सकें।

SPICMACAY

युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए समिति (**SPICMACAY**) एक गैर-लाभकारी संस्था है। यह संस्था शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे विश्व-भर में इसकी 300 से अधिक शाखाएँ हैं। **SPIC MACAY** डॉ. किरण सेठ द्वारा 1977 में **IIT** दिल्ली में स्थापित किया गया था। यह पारंपरिक भारतीय मूल्यों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **SPICMACAY** संगीत कार्यक्रम, व्याख्यान, प्रदर्शन, अनौपचारिक चर्चा और सेमिनार आयोजित करता है। इन्हें संगठन के स्थानीय शाखाओं द्वारा ही आयोजित किया जाता है। कॉलेज का **SPIC-MACAY** चैप्टर राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन

करता है। संतूर सम्राट पद्मश्री पंडित भजन सपोरी, उस्ताद इमरत खान, पंडित देबू चौधुरी सहित अन्य कलाकारों ने कॉलेज में आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी हैं।

एडवेंचर क्लब

किरोड़ीमल कॉलेज का एडवेंचर क्लब ट्रेक्स और एडवेंचर के शौकीन लोगों को एक साथ लाता है। क्लब की गतिविधियों में रिवर राफ्टिंग, नेचर कैंप, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कयाकिंग, पैरा सेलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, विंड सर्फिंग, स्पीड बोटिंग, बाइकिंग और बंजी-जंपिंग शामिल हैं। क्लब गढ़वाल / कुमाऊँ और हिमालय क्षेत्र में भी अभियान चलाता है। यात्राएँ छात्रों की जरूरतों के अनुसार सस्ती कीमतों पर आयोजित की जाती हैं।

द इको क्लब

भावी पीढ़ी के बीच पर्यावरण जागरूकता लाने में इको क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों में 2000 इको-क्लब स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण विभाग विभिन्न इको-फ्रेंडली गतिविधियों के लिए प्रत्येक इको क्लब स्कूल / कॉलेज को एक अनुदान प्रदान करता है। किरोड़ीमल कॉलेज में इको क्लब की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। पर्यावरण जागरूकता पैदा करना हमेशा किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है। इस प्रकार छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच पर्यावरण जागरूकता और प्रेरक संदेश का प्रसार किरोड़ीमल कॉलेज में इको क्लब का प्राथमिक मिशन है। इको क्लब का मिशन है: छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों को वृक्षारोपण के द्वारा अपने परिवेश को हरा और स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। पानी के उपभोग को कम करके पानी के संरक्षण के लोकाचार को बढ़ावा देना। न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन, अपशिष्ट के पृथक्करण और कचरे के निपटान के निकटतम भंडारण बिंदु के लिए आदतों और जीवन शैली को प्रेरित करना।

विदेशी छात्र संगठन

महाविद्यालय देश भर और विदेशों से और समाज के विविध क्षेत्रों से छात्रों को आकर्षित करता है। कॉलेज में दुनिया भर के विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में विदेशी छात्र आते हैं, उनमें से एक अच्छा हिस्सा दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप से आते हैं।

द फॉरेन स्टूडेंट्स एसोसिएशन **(FOSTAS)** किरोड़ीमल कॉलेज का एक आधिकारिक निकाय है। इसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉलेज के मेजबान छात्रों के साथ स्थापित किया गया था। **FOSTAS,** किरोड़ीमल कॉलेज में अध्ययनरत विदेशी छात्रों की जरूरतों को देखता है। एसोसिएशन नए प्रवेशकों को सहायता प्रदान करता है। विदेशी छात्रों की समस्याओं को हल करता है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करता है।

<u>समान अवसर प्रकोष्ठ</u>

भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए के वर्गों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, विकलांगों और अन्य लोगों के साथ, कॉलेज ने एक समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस स्तर पर ऐसे प्रकोष्ठ की आवश्यकता इस बात से समझ में आती है कि उच्च शिक्षा सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का एक उपकरण है। इस प्रकार इसका उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों को लागू करने और वंचित समूहों के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के मानक को सुनिश्चित करते हुए पहुँच और समानता के मुद्दे को संबोधित करना है जो सामाजिक विषमताओं को दूर करने में मदद करेगा।

समान अवसर प्रकोष्ठ का प्राथमिक कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों के संबंध में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना और कॉलेज परिसर के भीतर विविधता को बढ़ाना है। गतिविधियों की श्रेणी में संवेदीकरण कार्यक्रम, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम, अतिरिक्त कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। छात्र (या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह में) अपनी समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र रूप से प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।

<u>पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ</u>

किरोड़ीमल कॉलेज में पूर्वोत्तर के छात्रों का प्रकोष्ठ कर्मचारी परिषद के संकल्प द्वारा 14 अक्टूबर, 2015 को स्थापित किया गया था।

पूर्वोत्तर के छात्रों की एक बड़ी संख्या को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है। इससे पहले भी 'द नॉर्थईस्ट स्टूडेंट्स सेल' की आधिकारिक स्थापना से पूर्व छात्रों ने कुछ संकाय सदस्यों की मदद से 17 सितंबर, 2015 को नवागंतुक स्वागत समारोह और सेमिनार आयोजित किया था। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि की रूप में प्राचार्य ने शिरकत की। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति इस समारोह का विशेष आकर्षण रहा|

रेल विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से प्रकोष्ठ ने 3 नवंबर, 2015 को "पूर्वोत्तर के विकास के लिए सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निवारक सतर्कता" विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया था। मुख्य वक्ता के रूप में आर.वी.एन.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अशोक गंजू और बनजित हुसैन, जो एक स्वतंत्र शोधकर्ता और कार्यकर्ता हैं और दक्षिण कोरिया के सुंगकोंग हो विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं, को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ-साथ संकाय सदस्यों की भी सक्रिय भागीदारी रही|

प्रकोष्ठ भविष्य में और अधिक सृजनात्मक मंच विकसित करेगा। क्योंकि यह अतीत में विचारों के आदान-प्रदान का बेहतरीन मंच रहा है। यह छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करेगा और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा

<u>छात्रसंघ</u>

छात्र संघ कॉलेज का प्रमुख छात्र निकाय है। यह छात्रों को उनके नेतृत्व गुणों और राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के मुद्दों को उठाना और छात्रों की शिकायतों का निवारण करना है। कॉलेज के सभी छात्र स्वतः ही छात्र संघ के सदस्य बन जाते हैं। अध्यक्ष, महासचिव और संघ के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए एक चुनाव-प्रक्रिया आयोजित की जाती है। छात्र संघ ने सितंबर के महीने में "फ्रेशर्स टेक-

ऑफ" के साथ अपनी गतिविधियां शुरू कीं। किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र संघ प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव "पुनर्जागरण" की मेजबानी करता है।

<u>पूर्व छात्र संगठन</u>

अक्टूबर 2015 में किरोड़ीमल कॉलेज में एक पूर्व छात्र संघ का गठन किया गया था। इसके माध्यम से कॉलेज का उद्देश्य उन सभी छात्रों के साथ जुड़ना था जो पूर्व में महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं और अब नागरिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। संगठन न केवल छात्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करता है, बल्कि पूर्व छात्रों को भी कॉलेज के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है।

KIROR MAL COLLEGE
DELHI UNIVERSITY
FILA

FILA

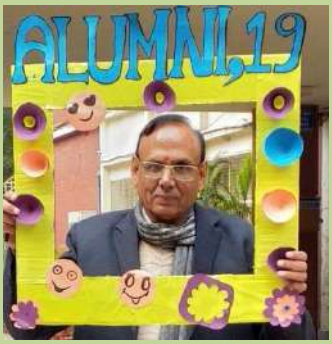
ALUMNI,19

Kirori Mal College
ALUMNI MEET 2017

FUNDRAISER
AMITABH BACHCHAN

ALUMNI MEET 2017

Kirori Mal College

अकादमिक पुरस्कार

क्रम	परीक्षा अनुक्रमांक	नाम	कार्यक्रम	% or CGPA	श्रेणी
1.	15036510034	HIMANSHI GOEL	B.A. (H) Economics 3rd Y	8.946	I
2.	15036511043	UTKRISHTA SHARMA	B.A. (H) English 3rd Y	7.851	I
3.	15036513032	PRAKASH SINGH	B.A.(H) Geography 3rd Y	8.905	I
4.	15036516009	HARSHIT RAJ SRIVASTAVA	B.A.(H) Hindi 3rd Y	8.676	I
5.	15036518032	PRIYANKA CHATURVEDI	B.A. (H) History 3rd Y	8.014	I
6.	15036527027	MEGHA SHARDA	B.A.(H) Political Science 3rd Y	8.189	I
7.	15036529009	MANISH	B.A. (H) Sanskrit 3rd Y	7.514	I
8.	15036533005	FROGH AHMAD	B.A.(H) Urdu 3rd Y	7.838	I
9.	15036556024	NAGMA KHAN	B.Sc. (H) Botany 3rd Y	9.135	I
10.	15036557014	AMRDEEP KUMAR	B.Sc. (H) Chemistry 3rd Y	9.405	I
11.	15036563070	VIDIT GUPTA	B.Sc. (H) Mathematics 3rd Y	9.446	I
12.	15036567091	SHIVAM KUMAR MITTAL	B.Sc. (H) Physics 3rd Y	9.216	I
13.	15036568002	ABHISHEK RAWAT	B.Sc. (H) Statistics 3rd Y	9.473	I
14.	15036569007	ANANNYA DHANWAL	B.Sc.(H) Zoology 3rd Y	8.649	I
15.	15036504022	DIVYA SURANA	B.Com. (H) 3rd Y	8.716	I
16.	15036501009	AMAN	B.A. (Prog.) 3rd Y	8.59	I
17.	15036503027	DIVYA GUPTA	B. Com. (Prog.) 3rd Y	8.758	I
18.	15036585005	DAMINI MEHRA	B.Sc. (Prog.) Analytical Chemistry 3rd Y	8.182	I
19.	15036583022	SANDHYA	B.Sc. (Prog.) Life Science 3rd Y	8.818	I
20.	15036582063	NISHA	B.Sc. (Prog.) Physical Science (with Chem.) 3rd Y	8.924	I
21.	15036582126	EKANSH SAINI	B.Sc. (Prog.) Physical Science (with Comp. Sc.) 3rd Y	8.424	I
परा-स्नातक विद्यार्थी					
22.	66562	TAMMINENI RAMYA	M.Sc. Botany (Final)	72.75	I
23.	1614913	BHAWNA	M.Sc. Chemistry (Final)	77.86	I
24.	1616623	NEHA GUPTA	M.Sc. Mathematics (Final)	78.31	I
25.	655609	SOMYA NIGAM	M.Sc. Operational Research	82.50	I

			(Final)		
26.	1613623	DIKSHA GARG	M.Sc. Physics (Final)	67.65	I
27.	66818	SURABHI	M.Sc. Zoology (Final)	72.92	I
28.	1601104	ANIBAL GOTH	M.A. English (Final)	64.63	I
29.	1603313	POONAM KUMARI	M.A. Hindi (Final)	65.63	I
30.	1605920	NEIL ALEXANDER	M.A. History (Final)	62.06	I
31.	1607930	PRATEEK KASHYAP	M.A. Political Science (Final)	62.81	I
32.	1610205	ARADHANA	M.A. Sanskrit (Final)	73.50	I
33.	70105	IMRAN AHMED ANSARI	M.A. Urdu (Final)	71.19	I

डॉ. एन. एस. प्रधान पुरस्कार

1.	15036511043	UTKRISHTA SHARMA	B.A. (H) English 3rd Y	7.851	I
2.	15036516009	HARSHIT RAJ SRIVASTAVA	B.A.(H) Hindi 3rd Y	8.676	I
3.	15036533005	FROGH AHMAD	B.A.(H) Urdu 3rd Y	7.838	I
4.	1601104	ANIBAL GOTH	M.A. English (Final)	64.63	I
5.	15036529009	MANISH	B.A. (H) Sanskrit 3rd Y	7.514	I

डॉ. एन. सुब्रह्मण्यम पुरस्कार

1.	15036567091	SHIVAM KUMAR MITTAL	B.Sc. (H) Physics 3rd Y	9.216	I
2.	51670426	DIKSHA GARG	M.Sc. Physics (Final)	67.65	I

एन. एस. खरे पुरस्कार

1.	15036567091	SHIVAM KUMAR MITTAL	B.Sc. (H) Physics 3rd Y	9.216	I

डॉ. वाई. एन. भट्ट पुरस्कार

1.	17036511028	PRACHI KADIAN	B.A.(H) English 1st Y	8.45	I

जय देव पुरस्कार

1.	15036569007	ANANNYA DHANWAL	B.Sc.(H) Zoology 3rd Y	8.649	I

गंगा शरण पुरस्कार

1.	16036511005	ANUKRITI BAJPAI	B.A. (H) English 2nd Y	7.39	I

सुल्तान चंद मेमोरियल पुरस्कार

1.	16036504063	RADHIKA AGRAWAL	B. Com. (H) 2nd Y	9.5	I

सुल्तान चंद द्रोपदी देवी पुरस्कार

1.	17036504053	NANCY BAJAJ	B.Com. (H) 1st Y	9.05	I

ओम प्रकाश मेमोरियल पुरस्कार

1.	15036518032	PRIYANKA CHATURVEDI	B.A. (H) History 3rd Y	8.014	I
2.	16036518018	HASSAN KHAN	B.A. (H) History 2nd Y	7.39	I
3.	17036518013	BHAVYA	B.A.(H) History 1st Y	8.09	I

प्रो. बी. बी. सरकार मेमोरियल पुरस्कार

1.	15036527027	MEGHA SHARDA	B.A.(H) Political Science 3rd Y	8.189	I
2.	16036527046	PRAGATI GAUR	B.A. (H) Political Science 2nd Y	7.96	I
3.	17036527055	SHARANYA JHA	B.A.(H) Political Science 1st Y	8.09	I

डॉ. बी.डी. सिंगले मेमोरियल पुरस्कार

1.	15036511043	UTKRISHTA SHARMA	B.A. (H) English 3rd Y	7.851	I
2.	16036511005	ANUKRITI BAJPAI	B.A. (H) English 2nd Y	7.39	I
3.	17036511028	PRACHI KADIAN	B.A.(H) English 1st Y	8.45	I

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रो. वी. पी. शर्मा मेमोरियल पुरस्कार

1.	15036557014	AMARDEEP KUMAR	B.Sc. (H) Chemistry 3rd Yr.	9.405	I
2.	16036557036	GAGANDEEP	B.Sc. (H) Chemistry 2nd Y	9.32	I
3.	17036557033	DEEPIKA	B.Sc. (H) Chemistry 1st Y	9.18	I

गणित के क्षेत्र में वी. पी. शर्मा मेमोरियल पुरस्कार

1.	15036563070	UTPAL ANAND	B.Sc. (H) Mathematics 3rd Y	9.446	I
2.	16036563070	YOGESH MISHRA	B.Sc. (H) Mathematics 2nd Y	9.5	I
3.	17036563043	NIKHIL SAXENA	B.Sc.(H) Mathematics 1st Y	9.59	I

AMCatKMC पुरस्कार 2019

Sl No.	Name	Course	Exam Roll No.	Award Details
सम्पादकीय पुरस्कार				
1.	Ms. Ayushi Mathur	B.Sc. (H) Statistics 2nd Year	17036568012	**Amitabh Bachchan Award** (*Versatile Genius* of Outstanding

				Performance)
2.	Ms. Ayushi Mathur	B.Sc. (H) Statistics 2nd Year	17036568012	**Jagdish Chandra Mathur Award** (*Student of the Year* as the Best Editor)
अकादमिक पुरस्कार				
3.	Ms. Yachna	M.A. (Previous) Sanskrit	1884378	**Kālidāsa Award** (*Best Creative Writer*) Sanskrit Language Section
4.	Ms. Sneha Banerjee	B.A. (Programme) 2nd Year	17036501074	**Rabindranath Tagore Award** (*Best Creative Writer*) Bangla Language Section
5.	Ms. Sadaf Rana	B.A. (H) Urdu 2nd Year	17036533024	**Kaifi Azmi Award** (*Best Creative Writer*) Urdu Language Section
6.	Mr. Arpit Kumar Shukla	B.Sc. Analytical Chemistry 2nd Year	17036585005	**Dr. Harivansh Rai Bachchan Award** (*Best Creative Writer*) Hindi Language Section
7.	Ms. Palak Kapoor	B.Sc. (H) Physics 1st Year	18036567068	**R.K. Narayan Award** (*Best Creative Writer*) English Language Section
8.	Ms. Mehak Jindal	B.Com. (Programme) 3rd Year	16036503061	**Kautilya Award** (*Best Creative Writer*) Commerce Section
9.	Ms. Khyati Singh	B.A. (H) Political Science 3rd Year	16036527033	**Dr. B.R. Ambedkar Award** (*Best Creative Writer*) Social Science Section
10.	Mr. Aashish Yadav	B.Sc. Physical Science with C.S. 2nd Year	17036582117	**Dr. A.P.J. Abdul Kalam Award** (*Best Creative Writer*) Science Section
ग्राफिक पुरस्कार				
11.	Ms. Srishti Manchanda	B.Com. (H) 1st Year	18036504081	**Leonardo Da Vinci Award** (*Best Creative Artist*) Front Cover Designing
12.	Mr. Abhishek Makol	B.Sc. (H) Chemistry 2nd Year	17036557004	**Vincent Van Gogh Award** (*Best Creative Artist*) Back Cover Designing
13.	Mr. Sarthak Ahuja	B.A. (H) English 1st Year	18036511040	**Amrita Sher-Gil Award** (*Best Contributor in Art Gallery*)

<u>खेल-कूद के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ-</u>

किरोड़ीमल कॉलेज के छात्रों ने खेलकूद में जहाँ भी भाग लिया, अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। विभिन्न टूर्नामेंटों में प्रदर्शनों की अपनी प्रभावशाली परंपरा जारी रखी है। टीमों और व्यक्तियों की खेल-वार उपलब्धियाँ नीचे प्रस्तुत की जा रही हैं।

बास्केटबॉल:

हमेशा की तरह हमारे बास्केटबॉल पुरुषों की टीम ने इंटर-कॉलेज चैम्पियनशिप 2018-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय इंटर-कॉलेज चैम्पियनशिप के अलावा, हमारी टीम हिंदू कॉलेज आमंत्रण टूर्नामेंट, एनबीए अकादमी कॉलेज लीग, लेडी श्री राम कॉलेज, यूसीएमएस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी।

उपरोक्त टूर्नामेंटों में युधिवीर सिंह और अमित चाहर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हमारी महिला टीम ने विभिन्न टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया।

एथलेटिक्स:

अमर त्यागी ने 200 मीटर दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में कांस्य पदक हासिल किया और 200 मीटर में स्वर्ण और दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया।

सुभदीप बैग को 200 मीटर और 400 मीटर में **DUSC** इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप में रजत पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में स्वर्ण मिला।

आशीष राणा ने **DUSC** इंटर कॉलेज में 100 मीटर और रिलायंस एथलेटिक्स मीट में भी रजत पदक हासिल किया।

DUSC इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में नितिन ने 400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया।

DUSC इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में मुनफ़्सर चौधरी को 400 मीटर में रजत से सम्मानित किया गया।

सुभाष साहू ने **DUSC** इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में डिस्कस थ्रो में गोल्ड हासिल किया।

इसके अलावा, किरोड़ीमल एथलेटिक्स टीम ने रिलायंस एथलेटिक्स मीट में 4**X**400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक और उसी दौड़ में 4**X**100 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। टीम के

सदस्य अमर त्यागी, सुभदीप बाग, आशु राणा, नसीम और नितिन हैं। इसके अलावा रिलायंस नेशनल एथलेटिक्स में भी इसे टीम ने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

बॉक्सिंग:

बॉक्सिंग टीम ने कॉलेज की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आयुष नेगी और मनविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, हर्षित मोंगिया ने रजत और आकाश रावत ने **DUSC** बॉक्सिंग इंटर कॉलेज चैम्पियनशिप में कांस्य जीता। आयुष नेगी और मनविंदर सिंह ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में दिल्ली विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व किया।

शतरंज :

हमारी पुरुष टीम ने **DUSC** इंटर कॉलेज शतरंज चैम्पियनशिप में दूसरा स्थान हासिल करके हमें गौरवान्वित किया। अश्विन डैनियल ने वरिष्ठ राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में एमपी राज्य का प्रतिनिधित्व किया। महिला टीम में, अंकिता गुप्ता ने **NZIU** चैम्पियनशिप में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

बैडमिंटन:

बैडमिंटन पुरुष टीम **DUSC** इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में करीब से हार गई, जबकि महिला टीम उसी टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

कोर्फ़बॉल:

टीम ने **DUSC** इंटर कॉलेज कोर्फबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन दिया और क्वार्टर फाइनल में करीब से हार गई। हिमानी रावत, चित्रा नैन और अमित चाहर ने **AIIU** चैम्पियनशिप में दिल्ली विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

फुटबॉल:

वरुण बिष्ट और जयंत सिंह ने **NZIU** चैम्पियनशिप में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

HOCKEY, CRICKET, TABLE TENNIS और VOLLEYBALL:

इन खेलों के लिए हमारी टीमों ने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में उत्साह से भाग लिया।

PARA खेल

किरोड़ीमल कॉलेज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इस शैक्षणिक सत्र में आयोजित पैरा-खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।, पूर्वी क्लब, गोरखपुर **(U.P.)** में 18 से 22 जनवरी, 2019 के बीच आयोजित 7 वीं नेशनल ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में रजत बिधुरी ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता।

नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 10 से 13 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित 21 वीं यूएसएचए नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में प्रवीण रावत ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता।

दीपक, दीपक कुमार और शेखर ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया जबकि गौरव कुमार ने शतरंज में भाग लिया।

कोच्चि, केरल में 18 से 22 सितंबर, 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दृष्टीबाधित फुटबॉल शिविर में कॉलेज के समीर खान ने इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया।

प्रयास सोसाइटी द्वारा 12 और 13 मार्च 2019 को आयोजित दो दिवसीय पैरा-स्पोर्ट्स मीट का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे मीडिया का भी ध्यान मिला था: "**PRAYAS -** कॉलेज की सक्षम इकाई ने अंतर-कॉलेज स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया था। हाल ही में विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए **KHELO PRAYAS**- का आयोजन किया गया था। यह पैरा-एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक अनूठा कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पंद्रह से अधिक कॉलेजों ने भाग लिया था। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर रेस, शॉट पुट, शतरंज और टेबल टेनिस शामिल थे। विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया।

-दिल्ली टाइम्स, दिनांक 17 मार्च, 2019